19

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

उन्नीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

उन्नीसवां प्रतिवेदन
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

22.3.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
22.3.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय-सूची
प्रतिवेदन

		पृष्ठ सं.
समिति की सरंचना.		
प्राक्कथन		
एक.	प्रस्तावना	**1**
	विभाग की भूमिका	**1**
दो.	समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	**7**
तीन.	अनुदानों की मांगों (2021-22) – एक सिंहावलोकन	**9**
चार.	उपभोक्ता संरक्षण	**11**
	(क) उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण	**13**
	(ख) एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली	**14**
	(ग) कॉन्फोनेट	**19**
पांच.	मूल्य निगरानी ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना	**26**
छह.	विधिक माप विज्ञान का सुदृढ़ीकरण	**30**
सात.	उपभोक्ता जागरूकता (प्रसार)	**36**
आठ.	विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन का सुदृढ़ीकरण	**38**
	1. बाट और माप	**38**
	2. भारतीय मानक ब्यूरो	**44**
	3. राष्ट्रीय परिक्षणशाला	**47**
नौ.	उपभोक्ता कल्याण निधि	**54**
	परिशिष्ट	
एक.	समिति की 24.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**58**
दो.	समिति की 16.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**61**
तीन.	समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां	**63**

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण
संबंधी स्थायी समिति की संरचना@

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, सभापति

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
4. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
5. श्री जी.एस. बसवराज
6. श्रीमती देबाश्री चौधरी
7. श्री सन्नी देओल
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
11. श्री कराडी सगन्ना अमरप्पा
12. श्री खगेन मुर्मु
13. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
14. श्री सुब्रत पाठक
15. श्रीमती हिमाद्री सिंह
16. श्रीमती कविता सिंह
17. श्री नंदीगम सुरेश
18. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
19. श्री राजमोहन उन्नीथन
20. श्री वी. वैथिलिंगम
21. रिक्त*

राज्य सभा

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. श्रीमती रूपा गांगुली
24. श्री के.जी. केन्ये
25. डॉ. फौजिया खान
26. श्री हिशे लाचुंग्पा
27. श्री राजमणि पटेल
28. श्री सकलदीप राजभर
29. डॉ. अंबुमणि रामादास
30. श्री रामजी
31. श्री जी.के. वसन

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	-	अपर सचिव
4.	श्री डोंग लिऑनथांग तोसिंग	-	अवर सचिव

@ लोक सभा समाचार भाग-दो, संख्या 3189 दिनांक 9.10.2021 द्वारा 13.09.2021 से गठित
*** 14.03.2022 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के पश्चात् श्री भगवंत मान सदस्य नहीं रहे।**

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच/संवीक्षा की जिन्हें 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 24 फरवरी, 2022 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. समिति विषय के संबंध में उसके समक्ष सामग्री प्रस्तुत करने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जाँच के संबंध में अपेक्षित जानकारी उसे प्रस्तुत करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

4. समिति ने 16 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

सुदीप बंदोपाध्याय
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रस्तावना

विभाग की भूमिका

उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत दो विभागों में से एक है।

1.2 विभाग का अधिदेश उपभोक्ता हिमायत करना है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के साथ उपभोक्ता वकालत में अग्रणी था, जो उस समय एक पथप्रदर्शक कानून था, जिसे 1986 में अधिनियमित किया गया था और 1997 में उपभोक्ता मामलों के लिए समर्पित एक अलग सरकारी विभाग की स्थापना की गई थी।

1.3 साथ ही, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत में 20 जुलाई, 2020 को लागू हुआ, जिसने वर्ष 1986 के पिछले अधिनियम का स्थान लिया। नया अधिनियम भारत में उपभोक्ता विवादों के प्रशासन और निपटान में परिवर्तन लाता है। इसमें मिलावट और भ्रामक विज्ञापनों के लिए जेल की सजा सहित सख्त दंड का प्रावधान है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब ई-कॉमर्स के माध्यम से माल की बिक्री के लिए नियम निर्धारित करता है। इस अधिदेश को कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता है:

- उपभोक्ताओं को सुविज्ञ विकल्प चुनने में सक्षम बनाना;
- उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्षतथा ;न्यायसंगत और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करना ,
- समयबद्ध और प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण को सुकर बनाना

1.4 विभाग को निम्नलिखित के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है:-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (उन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मूल्य और वितरण से संबंधित कार्य जिनके संबंध में किसी अन्य विभाग द्वारा विशेष रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है)।
- चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980;
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009;
- पैकबंद वस्तुओं का विनियमन
- बाट और माप के मानक
- मूल्य स्थिरीकरण कोष
- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952
- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
- उपभोक्ता सहकारिताएं
- मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी।
- राष्ट्रीय परीक्षणशाला।

1.5 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 09-02-2022 को उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की विस्तृत मांगें (2022-23) लोकसभा के पटल पर रखी। उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान की विस्तृत मांग 1762.38 करोड़ रुपये के सकल बजटीय प्रावधान को

दर्शाती है। इसमें योजना के लिए 1599 करोड़ रुपये और गैर-योजना के लिए 163.38 करोड़ रुपये शामिल हैं।

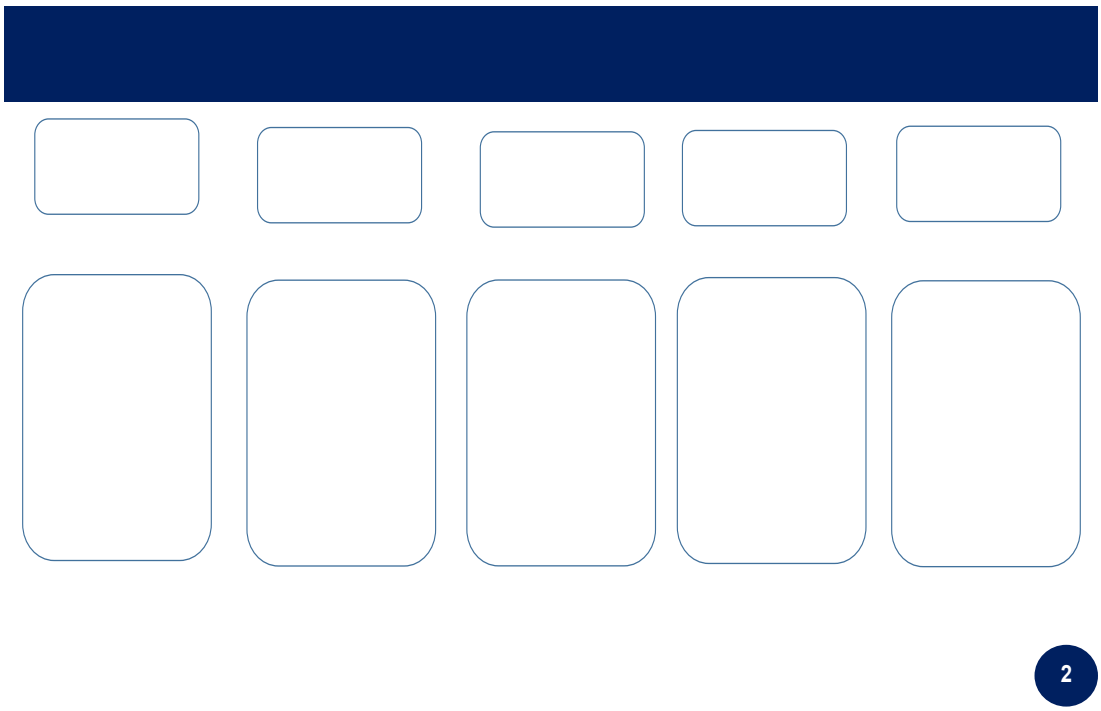

2

1.6 समिति को बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए सकल ब. अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय क्रमशः 3237.60 करोड़ रुपये, 2,714.14 करोड़ रुपये और 2210.04 करोड़ रुपये हैं। दिनांक 11-02-2022 को समिति को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से संबंधित बीई, आरई और एई के संयुक्त आंकड़े इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2020-21							2021-22							2022-23	
	योजना			गैर-योजना			कुल वास्तविक व्यय	योजना			गैर-योजना			कुल वास्तविक व्यय (11.02.2022 तक)	स्कीम	गैर-स्कीम
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय		बजट अनुमान	बजट अनुमान
सचिवालय और आर्थिक सेवा	0.00	0.00	0.00	105.00	96.26	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	103.60	105.39	87.25	87.25	0.00	125.88
उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार)	60.00	42.50	42.25	0.00	0.00	0.00	42.25	44.50	23.00	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	25.00	
उपभोक्ता संरक्षण	49.00	40.41	39.18	0.00	0.00	0.00	39.18	44.00	42.00	33.44	0.00	0.00	0.00	33.44	40.00	
विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन	62.00	42.74	41.02	0.00	0.00	0.00	41.02	55.00	18.15	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24	17.00	
राष्ट्रीय परीक्षण शाला	20.00	14.00	13.43	0.00	0.00	0.00	13.43	23.50	13.50	9.39	0.00	0.00	0.00	9.39	14.75	
मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	2.00	1.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	2.00	1.50	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	1.50	
बीआईएस स्वर्ण हॉलमार्किंग और परख केंद्र और गुणवत्ता नियंत्रण का मानकीकरण	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	
मूल्य स्थिरीकरण कोष	2000.00	11800.00	11135.30	0.00	0.00	0.00	11135.30	2700.00	2250.00	2016.00	0.00	0.00	0.00	2016.00	1500.00	
उपभोक्ता कल्याण कोष	0.00	0.00	0.00	*261.00	*261.00	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	@ 263.50	@ 263.50	34.35	34.35	0.00	37.50
कुल	2195.00	11941.65	11273.17	366.00	357.26	115.70	11388.87	2870.50	2348.25	2088.44	367.10	368.89	121.60	2210.04	1599.00	163.38

1.7 वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित योजना अनुमानों के लिए बजट में प्रावधान दर्शाने वाले विवरण के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नानुसार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**स्कीम**	**2022-23**
		आबंटन
1	उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता मंचों / आई सी जी आर एस / कोन्फ़ोनेट / उपभोक्ता संरक्षण सेल को मजबूत करना)	40.00
2	उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार)	25.00
3	मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	1.50
4	विधिक माप विज्ञान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (बाट और माप)	17.00
5	राष्ट्रीय परीक्षण शाला (नेशनल टेस्ट हाउस) को सुदृढ़ करना	14.75
6	भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस)	0.75
	कुल	**99.00**
7	मूल्य स्थिरीकरण निधि	**1500.00**
	कुल योग	**1599.00**

1.8 वित्तीय आवंटन के संबंध में एक प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने अपने जवाब में बताया है कि 2021-22 में उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2974.1 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (बीई) आवंटित किया गया था, जिसे संशोधित करके संशोधित अनुमान (आरई) चरण में 2453.64 करोड़ रुपये कर दिया गया था। उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत आवंटन को छोड़कर वास्तविक व्यय 11.02.2022 तक 2175.69 करोड़ रुपये अर्थात 88.67 प्रतिशत रहा। आगामी 2022-23 के बजट वर्ष के लिए, बजट अनुमान (बीई) को 1724.88 करोड़ रुपये रखा गया है।

1.9 वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान (बीई) से संशोधित अनुमान (आरई) में भारी कमी और 2022-23 के लिए आवंटन में और कमी किए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामले विभाग ने बताया कि इस कमी का मुख्य कारण वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत कम आवंटन है। बजट अनुमान 2021-22 के लिए पीएसएफ के तहत 2700 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे और कम करके संशोधित अनुमान 2021-22 में 2250 करोड़ रूपए किया गया ।

1.10 समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान ब.अ.,संशोधित अनुमान सं.अ. और वास्तविक व्यय क्रमशः 2974.1 करोड़ रुपये, 2453.64 करोड़ रुपये और 2175.69 करोड़ रुपए रखा गया था। समिति ने आगे नोट करती है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण पर 17.5% कम करके और 2453.64 करोड़ रुपये रखा गया था। यहाँ तक कि इस कम किए हुए वास्तविक व्यय को भी विभाग द्वारा उपयोग वास्तविक स्तर पर नहीं किया गया और इसमें 11.3% की कमी रहीं। समिति इसे चिंता के साथ नोट करती है कि 2022-23 के बजट अनुमान में, 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 70.2% की कमी की गई है और इसे 1724.88 करोड़ रुपए तक कम रखा गया है। यदि पीएसएफ के लिए आवंटन अर्थात 2022-23 तक इसके लिए 1500 करोड़ रुपए को, 1724.88 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की कुल राशि में से कम कर दिया जाए तो यह आवंटन केवल 224.88 करोड़ रुपये होगा जोकि 2021-22 के बजट अनुमान से भी 18% कम है जिसे 274.10 करोड़ रुपये रखा गया था। इस कटौती के लिए एमओएफ द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा और मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए आवंटन में कमी जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति इस बात से आशंकित थी कि 2022-23 के लिए आवंटन में इस भारी कटौती से उपभोक्ता मामले विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगा, जो देश के आम

लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को सक्रिय रूप से कार्य करने और वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की सिफारिश करती है ताकि उन्हें देश में विशेष रूप से उपभोक्ताओं को समर्पित अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए निधि बढ़ाने के लिए लगाई गई सीमा को हटाने के लिए राजी किया जा सके। साथ ही, समिति, विभाग को इन प्रमुख योजनाओं में से प्रत्येक के संबंध में अनिवार्य मांगों और निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, केंद्रीय योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए कड़े कदम उठाने और व्यय की कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रेरित करेगी।

अध्याय- दो
समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों(2021-22) के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 21 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं।

2.2 समिति के मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73-क के अंतर्गत प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर संबंधित मंत्री को वक्तव्य देना होता है। निदेश 73-क के अंतर्गत दसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के संदर्भ में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 30 जुलाई, 2021 को राज्य सभा में और 3 अगस्त, 2021को लोक सभा में वक्तव्य दिया।

2.3 उपभोक्ता मामले विभाग से दसवें प्रतिवेदन(सत्रहवीं लोक सभा) के संबंध में 25 जून, 2021 को प्राप्त की-गई-कार्रवाई उत्तरों के आधार पर समिति ने की-गई- कार्रवाई प्रतिवेदन को 7 दिसम्बर ,2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। समिति ने दसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के पैरा संख्या 2.9, 3.4, 4.27, 4.29, 5.7, 7.14, 7.15, 7.17 और 8.12 में समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत की-गई-कार्रवाई उत्तरों पर टिप्पणी की थी।

2.4 समिति यह नोट करके चिंतित है कि समिति के दसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर सरकार द्वारा तीन महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति के कुछ दिनों बाद यानी 25 जून, 2021 को प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, अनुदान की मांगों संबंधी रिपोर्ट 19 मार्च, 2021 को सभा में पेश की गई। हालांकि, निदेश 73-ए के तहत मंत्री का वक्तव्य 30 जुलाई 2021 को राज्यसभा में और 3 अगस्त 2021 को लोकसभा में रखा गया था। तत्पश्चात, की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 7 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत किया गया। की गई कार्रवाई के उत्तरों के विश्लेषण से पता चला कि सरकार ने समिति की 80.95% टिप्पणियों/सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, समिति 9.52 प्रतिशत टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार नहीं करना चाहती है। समिति ने पाया कि 4.76% टिप्पणियों/सिफारिशों के मामले में, सरकार के उत्तर अंतरिम प्रकृति के थे। समिति

आशा और विश्वास करती है कि विभाग भविष्य में उनके प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों टिप्पणियों के संबंध में, निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करेगा और समय सीमा का ध्यान रखेगा और उन्हें सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, जिनके जवाब अंतरिम प्रकृति के थे और उन उत्तरों के संबंध में भी, जिन पर समिति ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में टिप्पणी की थी/दोहराया था, के बारे में बताएगा।

अध्याय – तीन
अनुदानों की मांगें (2022-23) – एक सिंहावलोकन

3.1 विभाग ने, एक उत्तर में,समिति को जानकारी दी कि 2022-23 के आगामी बजट में, उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान की मांगों (2022-23) में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 1599 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का प्रस्ताव किया गया है।

3.2 स्कीमों /कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रश्न पर, विभाग ने जानकारी दी कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन (1) उपभोक्ता संरक्षण तथा (2) विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन नामक दो अम्ब्रेला स्कीमों के माध्यम से किया जा रहा है। इन दो अम्ब्रेला स्कीमों के अलावा विभाग मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस.एफ.) तथा उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) कार्यक्रम भी क्रियान्वित करता है। उपभोक्ता संरक्षण की अम्ब्रेला योजना में (क) उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करने की योजना(एससीसी), (ख) देश में उपभोक्ता आयोग का कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कन्फोनेट) और (ग) समेकित उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) शामिल हैं।

3.3 समिति द्वारा विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन योजना के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने जानकारी दी कि इस योजना के अंतर्गत तीन उप-योजनाएं हैं:-

(1) विधिक माप विज्ञान का सुदृढ़ीकरण और उसे लागू करना; (2) राष्ट्रीय परीक्षणशाला का सुदृढ़ीकरण तथा (3) गोल्ड हॉलमार्किंग, मानक से संबद्ध क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान और विकास कार्य का सुदृढ़ीकरण।

3.4 समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) को 1599.00 करोड़ रुपये आंका गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपनी दो अम्ब्रेला योजनाओं अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। समिति नोट करती है कि इन अंब्रेला योजनाओं के अलावा, विभाग मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) कार्यक्रम भी लागू करता है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण की अम्ब्रेला योजना में उपभोक्ता आयोग को मजबूत करने की योजनाएं, देश में उपभोक्ता आयोग का कंप्यूटरीकरण और

कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट), एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) शामिल है, विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन की योजना में विधिक माप विज्ञान को सुदृढ़ करना, नेशनल टेस्ट हाउस और गोल्ड हॉलमार्किंग, मानक संबंधित क्षमता निर्माण और अनुसंधान और विकास कार्य शामिल है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता मामलों के विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनमें देश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए व्यापक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2022 23 में रखे गए 1599 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2021 22 की इसी अवधि के संशोधित अनुमान से कम रखा गया है, अर्थात 2453.64 करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय 2175.69 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय जो आवंटन से कम था, फिर भी समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि विभाग को इस निधि का उपयोग करने में हर संभव प्रयास करने चाहिए और उचित योजना के साथ विवेकपूर्ण तरीके से अपनी यू योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि कोई राशि सरकारी खजाने में वापस ना जाए और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।

अध्याय –चार
उपभोक्ता संरक्षण

विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों के बारे में निम्नवत जानकारी दी :-

- उपयुक्त प्रशासनिक और कानूनी तंत्र तैयार करना जो उपभोक्ताओं की आसान पहुंच के भीतर होगा और उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों दोनों के साथ बातचीत करना।

- उपभोक्ता संगठनों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

- उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें अपने अधिकारों पर जोर देने के लिए प्रेरित करना ताकि वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और मानकों पर समझौता न करें और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता मंचों में उनके विवादों का निवारण करने की मांग करें।

- उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षित करना।

- उचित कानून के माध्यम से सार्थक उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करना।

4.2 वर्ष 2021-22 के लिए बीई, आरई और एई के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि उस वर्ष के लिए बीई 44 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसे आरई चरण में घटाकर 42.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस आबंटन में से, विभाग केवल 33.44 करोड़ रुपये (11.02.2022 की स्थिति के अनुसार) अर्थात 79.6% तक व्यय कर पाया। वर्ष 2022-23 के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के लिए 1.01 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

4.3 विभाग ने आगे यह भी बताया कि भारत सरकार उपभोक्ता आयोग की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग में न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। कोनफोनेट योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण के लिए उपभोक्ता आयोग को कंप्यूटर

हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और 6 ज़ोनल हेल्पलाइनों के साथ एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए काम कर रहा है।

नया अधिनियम

4.4 विधायी उपबंधों के संबंध में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, यह जानकारी दी गई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण, उपकरण और प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों के नए युग में अधिनियम को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को 09.08.2019 को संसद में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 20 जुलाई, 2020 से लागू किया गया है। नए अधिनियम ने 33 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया और प्रतिस्थापित किया।

4.5 इसके अलावा, नए अधिनियम में ई-कॉमर्स लेनदेन शामिल हैं जो प्रक्रियात्मक आसानी के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, सुनवाई और / या पार्टियों की जांच करने की अनुमति देता है और असुविधा को कम करता है। इसने अपने दायरे में लाने वाले उत्पाद देयता की अवधारणा को भी पेश किया है, उत्पाद निर्माता, ई-कॉमर्स लेनदेन को कवर करता है और प्रक्रियात्मक आसानी के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायतों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, सुनवाई और / या पार्टियों की जांच करने की अनुमति देता है और असुविधा को कम करता है। नए अधिनियम ने मुआवजे के लिए किसी भी दावे के लिए उत्पाद देयता को अपने दायरे में लाने, उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता की अवधारणा को भी आरंभ किया है। इसके अलावा, यह एक झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता / समर्थक पर जुर्माना भी लगा सकता है और विवाद निर्णय की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने और उपभोक्ता अदालतों पर दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता प्रदान करने के अलावा उन्हें किसी विशेष उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से भी रोक सकता है।

4.6 विभाग ने यह जानकारी भी दी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत , केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नामक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना की गई है और यह 24.07.2020 से प्रभावी हो गई है। इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और एक महानिदेशक की अध्यक्षता वाले जांच विंग के माध्यम से शिकायत/अभियोजन चलाने का अधिकार है। प्राधिकरण स्व-प्रेरणा से कार्रवाई भी कर सकता है, उत्पादों को वापस बुला सकता है, वस्तुओं /

सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश दे सकता है, लाइसेंस रद्द कर सकता है और क्लास एक्शन सूट दर्ज कर सकता है।

4.7 सीसीपीए के लिए वेतन, किराया, दरें और करों के लिए निर्धारित आवंटनों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने एक उत्तर में प्रस्तुत किया कि सीसीपीए ने 5,83,275 रुपये+जीएसटी की मासिक दर पर इंद्रप्रस्थ एस्टेट में संस्थान के परिसर में आईआईपीए से लीज पर 2121 वर्ग फुट की जगह ली है, जिसके किराए के लिए 65 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। सीसीपीए 2022-23 द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी / सलाहकार के वेतन के लिए सीसीपीए को 10 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

(क) उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण (एस सी सी)

4.8 उपभोक्ता आयोगों के सुदृढ़ीकरण के बारे में समिति द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है जिसे उपभोक्ता आयोग कहा जाता है ताकि उपभोक्ता विवादों का त्वरित,सरल,और किफायती समाधान किया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जिला आयोगों और राज्य आयोगों की स्थापना करें और उन्हें प्रभावी रूप से चलाएं। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उपभोक्ता मंचों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता मंच को प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

4.9 समिति को यह जानकारी भी दी गई है कि इस स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों के नए भवनों के निर्माण, मौजूदा भवनों के परिवर्धन/परिवर्तन/नवीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर, सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि जैसी गैर-निर्माण परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

4.10 जहां तक वित्तपोषण पद्धति का संबंध है, विभाग ने प्रस्तुत किया है कि एससीसी के लिए 2022-23 के लिए बजट अनुमान 600 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, उपभोक्ता आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए बीई में कुल 800 लाख रुपये और आरई में 279.40 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। आरई की पूरी राशि एससीसी योजना के तहत जिला उपभोक्ता आयोग

भवन और गैर-निर्माण परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक सरकार को निधि जारी करने पर खर्च की गई थी।

4.11 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नवत है :

(लाख रु में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	600	494	353.62
2020-21	800	266	117.38
2021-22	800	279.40	279.40
2022-23	600	-	-

4.12 समिति विशेष रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और तैयार की गई योजनाओं/रणनीतियों के प्राप्त करने के बारे में जानना चाहती थी, उपभोक्ता मामले विभाग ने एक उत्तर में प्रस्तुत किया कि इस योजना के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है और यदि प्रस्ताव पूर्ण और क्रम में पाए जाते हैं तो निधियां जारी की जाएंगी।

(ख) एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस)

4.13 विभाग ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की स्थापना की है। इसके अलावा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता और पटना में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के विस्तार के रूप में अक्टूबर, 2017 से छह क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (जेडसीएच) स्थापित की गई हैं ताकि बढ़ती क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जेडसीएच को एनसीएच के साथ एक साझा प्लेटफॉर्म/सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा गया है। उपभोक्ता शिकायत निवारण से संबंधित सभी गतिविधियों को "एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस)" स्कीम से वित्तपोषित किया जाता है।

4.14 शीर्ष के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान बीई और आरई के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि बीई और आरई में 900 लाख रुपये और 700.34 लाख रुपये प्रदान किए गए थे। तथापि, वास्तविक 450.54 लाख रुपए तक ही रहा।

4.15 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त मामलों/शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत डॉकेट	सामान्य पूछताछ (गैर-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)	शिकायत
2019-2020	741094	127750 (17.24%)	613344 (82.76%)
2020-2021	674820	95454 (14.15%)	579366 85.85%
2021-2022	606294	83047 (13.70%	523247 (86.30%

4.16 समिति को आगे यह भी बताया गया कि एनसीएच का 630 से अधिक कंपनियों के साथ कन्वर्जेंस है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कन्वर्जेंस मार्ग के माध्यम से मामलों के निवारण के बारे में जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत की है:

वित्तीय वर्ष	**दर्ज की गई शिकायतें**	**कंपनी द्वारा निपटान**	**कंपनी द्वारा निपटान (%)**
2019-20	289483	269503	93.1
2020-21	353227	303433	85.9
अप्रैल 21-जनवरी22*	317449	266193	83.9
कुल	**960159**	**839129**	**87.4**

4.17 यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 के दौरान अभिसरण मार्ग (289483) के माध्यम से पंजीकृत कुल शिकायतों में से 93.1% (269503) का निपटारा कर दिया गया था। वर्ष 2020-21 (353227 में से 303433) के लिए आंकड़ा 85.9% था, और अप्रैल, 2021 और जनवरी, 2022 (317449 में से 266193) के बीच 83.9% था। इस प्रकार, कंपनियों द्वारा निपटाए गए पिछले 3 वर्षों में दर्ज मामलों का कुल प्रतिशत 87.4% है।

4.18 वर्ष 2022-23 के दौरान, 660 लाख रुपये के आवंटन के साथ, विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में शिकायतों की संख्या में 10.6% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन

4.19 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना को बंद करने के प्रश्न पर, विभाग ने प्रस्तुत किया है कि इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का कार्य क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (जेडसीएच) के कार्य के साथ ओवरलैप हो रहा था जो देश में स्थापित 6 जेडसीएच केंद्रों के माध्यम से देश भर से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करता है, जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता और पटना में क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त शिकायतों को सुनने के लिए स्थित है , जिसमें 60 डेस्क (प्रत्येक स्थान पर 10 डेस्क) हैं।

4.20 विभाग ने यह भी जानकारी दी कि :

"क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त उपभोक्ताओं की शिकायतों की हैंडलिंग के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रयासों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइनें अक्टूबर, 2017 के दौरान स्थापित की गई थीं। उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800-11-4000 या 14404) के सामान्य राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर के माध्यम से जोनल उपभोक्ता हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं। इसलिए, उन्हें अब दो अलग-अलग हेल्पलाइन (एक राष्ट्रीय / क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए और अन्य राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए) की आवश्यकता नहीं है । उपभोक्ताओं के पास अब मुकदमा-पूर्व चरण में संपर्क का एक बिंदु है जो भ्रम से बचाता है कि किस हेल्पलाइन से संपर्क किया जाए। इसके अलावा, पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, यह देखा गया है कि कुछ 5-6 राज्यों को छोड़कर, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों पर बहुत कम कॉल आ रहे थे।

इन कारणों से, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों को बंद करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ये उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे जो कि क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा किया जा रहा है। यदि भविष्य

में यह महसूस किया जाता है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से शिकायतें बढ़ रही हैं, तो क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में सीटों को हमेशा अनुपात में बढ़ाया जा सकता है।"

4.21 कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई भाषा सहायता से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	जेडसीएच का स्थान	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य भाषा में सहायता
1.उत्तरी क्षेत्र	जयपुर	जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी) पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ (यूटी)	कश्मीरी, पंजाबी और डोगरी
	पटना	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , बिहार, झारखंड	संथाली , मैथिली, नेपाली, उर्दू
2.दक्षिणी क्षेत्र	बेंगलुरु	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना , केरल, तमिलनाडु , पुडुचेरी (यूटी), लक्षद्वीप	कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कोंकणी
3.पूर्वी क्षेत्र	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	बंगाली, उड़िया
4. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम	असमिया, बंगाली, मणिपुरी
5. पश्चिमी क्षेत्र	अहमदाबाद	गुजरात, महाराष्ट्र , गोवा, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (यूटी)	गुजराती, मराठी और सिंधी

4.22 उपभोक्ता हेल्पलाइन स्कीम के तहत जारी अनुदान/लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार) के बारे में मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

(लाख रुपये में)

क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पिछले रिलीज का वर्ष**	**जारी की गई अंतिम राशि**	**अव्ययित शेष और लंबित उपयोग प्रमाणपत्र**
1	आंध्र प्रदेश	2007-08	27.25	11.84
2	अंडमान और	2012-13	21.95	19.16

	निकोबार द्वीप समूह			
3	अरुणाचल प्रदेश	2008-09	23.97	0
4	असम	2016-17	40.86	40.86
5	बिहार	2013-14	27.14	8.35
6	चंडीगढ़	2021-22	5.84	0
7	छत्तीसगढ	2014-15	27.24	27.24
8	दादरा नगर हवेली	2010-11	21.95	21.95
9	दमन और दीव	2014-15	22.99	22.99
10	गुजरात	2010-11	5.49	0
11	हरियाणा	2017-18	38.77	0
12	हिमाचल प्रदेश	2014-15	18.30	25.92
13	जम्मू और कश्मीर	2017-18	29.88	29.88
14	झारखंड	2011-12	26.80	0.76
15	कर्नाटक	2017-18	27.24	27.24
16	केरल	2020-21	21.68	21.68
17	लक्षद्वीप	2008-09	21.95	14.53
18	मध्य प्रदेश	2020-21	37.38	37.38
19	महाराष्ट्र	2015-16	27.24	0.79
20	मणिपुर	2016-17	13.49	13.49
21	मेघालय	2012-13	21.95	7.89
22	मिजोरम	2015-16	13.49	0
23	नागालैंड	2016-17	19.13	0
24	उड़ीसा	2015-16	2.46	0
25	पंजाब	2009-10	27.60	27.60
26	पुदुचेरी	2020-21	26.98	16.69
27	राजस्थान	2021-22	27.24	27.24
28	सिक्किम	2017-18	13.49	0
29	तमिलनाडु	2015-16	27.24	0

30	तेलंगाना	2020-21	13.49	13.49
31	त्रिपुरा	2020-21	11.33	11.33
32	उत्तर प्रदेश	2019-20	32.78	0
33	उत्तराखंड	2010-11	24.10	12.84
34	पश्चिम बंगाल	2017-18	11.89	23.10

4.23 विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत दी गई 46424 लाख रुपये की राशि अभी भी 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास बकाया है।

4.24 समिति द्वारा इसके कारण पूछे जाने पर, उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:

> "इस विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई निधियों के लिए लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैठकों/वीडियो कान्फ्रेंसिंग और पत्रों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है। उत्तर में यह भी कहा गया है कि हाल ही में, 01.12.2021 को पूर्वी राज्यों, 25.01.2022 को दक्षिणी राज्यों और 14.02.2022 को सभी राज्य/जिला आयोगों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया ।"

(ग) देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग, (कॉनफोनेट)

4.25 उपभोक्ता आयोगों के कंप्यूटरीकरण के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने एक लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया कि इस स्कीम के तहत, देश भर में सभी तीन स्तरों पर उपभोक्ता आयोग को सूचना तक पहुंच और मामलों के त्वरित निपटान में सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत किया जाना था। यह परियोजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ता आयोग को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाती है।

4.26 विभाग द्वारा इस स्कीम की निम्नवत उपलब्धियां बताई गयीं :- (i) स्वत: कारण सूची सृजन, (ii) मामले की स्थिति की तैयार उपलब्धता, (iii)केस

हिस्ट्री का क्विक व्यू , (iv) मामला संख्या, शिकायतकर्ता का नाम, प्रतिवादी का नाम आदि का उपयोग करके त्वरित खोज सुविधा, (v) फ्री टेक्स्ट सर्च का उपयोग करके निर्णय खोज, (vi) एक बार मास्टर प्रविष्टि के बाद स्वचालित नोटिस सृजन, (vii) विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्ट सृजन। कानफोनेट वेबसाइट में उपभोक्ता उपरोक्त पहलुओं के संबंध में जानकारी देख प्राप्त कर सकते हैं।

बजटीय आबंटन

4.27 कन्फोनेट के तहत बजटीय प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने एक जवाब में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि वर्ष 2021-22 के लिए कन्फोनेट योजना के लिए बीई, आरई और एई क्रमशः 2600 लाख रुपये, 3200 लाख रुपये और 2600 लाख रुपये है। दूसरे शब्दों में, विभाग ने आरई चरण में आबंटन में ऊपर की ओर संशोधन किया, लेकिन मूल रूप से आबंटित राशि का उपयोग किया अर्थात रु. 2600 लाख। विभाग ने सूचित किया है कि शेष निधियों का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 2700 लाख रुपये है।

उपलब्धि

4.28 उपलब्धियों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर पर, विभाग ने सूचित किया है कि 31 राज्य आयोगों, 6 सर्किट बेंचों (सीबी) और 378 जिला आयोगों में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है। 200 स्थानों के लिए हार्डवेयर के नए सेट के लिए खरीद /आपूर्ति प्रक्रियाधीन है जिसमें 3 राज्य आयोग, 1 सीबी और 196 जिला आयोग शामिल हैं। विभाग ने यह भी सूचित किया कि कन्फोनेट परियोजना के अनुसार, कन्फोनेट स्कीम के अंतर्गत सभी उपभोक्ता आयोगों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है जो कार्यात्मक हैं और जहां हार्डवेयर की स्थापना के लिए स्थल तैयार है। ऐसे सभी उपभोक्ता आयोगों को शुरू कर दिया गया है और वहां कन्फोनेट को लागू किया गया है। जब कभी राज्य आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी नए उपभोक्ता आयोग की स्थापना/सृजन की जाती है, जिसे कन्फोनेट योजना के कार्यान्वयन के लिए भी कवर किया गया है।

4.29 जब उन स्थानों के बारे में पूछा गया जहां कन्फोनेट को अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो विभाग ने उत्तर दिया है कि 13 स्थानों पर, कन्फोनेट को अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि ये साइटें अभी तक तैयार नहीं हुई हैं/ अभी तक कार्यात्मक नहीं हैं।

क्रमांक	राज्य	शेष उपभोक्ता आयोगों की संख्या	उपभोक्ता आयोग का नाम	टिप्पणियां
1	अरुणाचल प्रदेश	4	दिबांग घाटी, तिरप, कुरुंग कुमी, अंजावी	साइट तैयार नहीं है।
2	छत्तीसगढ़	2	नारायणपुर, बीजापुरी	साइट तैयार नहीं है
3	दमन और दीव और दादर नगर हवेली	2	दमन राज्य आयोग और दीव जिला मंच में साइट तैयार नहीं है।	दमन राज्य आयोग और दीव जिला मंच में साइट तैयार नहीं है और उपभोक्ता आयोग कार्यशील नही है।
4	जम्मू और कश्मीर	1	श्रीनगर जिला मंच	साइट तैयार नहीं है
5	नागालैंड	3	पेरेन, लॉन्गलेंग, किफिरे	साइट तैयार नहीं है
6	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	1	लद्दाख	हाल ही में अधिसूचित/अभी तक कार्यशील नहीं है।
	कुल	13 (1 राज्य आयोग + 12 जिला आयोग)	दमन और दीव राज्य आयोग और 12 जिला आयोग	

4.30 विभाग ने विस्तार से बताया है कि 13 उपभोक्ता आयोगों के कम्प्यूटरीकरण और 500 अधिकारियों को इसका उपयोग बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु 6 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

4.31 विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनआईसी (कॉनफोनेट) ने विभाग को जानकारी दी है कि उपर्युक्त राज्यों में ये 13 उपभोक्ता आयोग वे स्थान हैं, जहां साइट अभी तक हार्डवेयर की आपूर्ति/स्थापना के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण वे अभी तक कॉन्फोनेट के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ , नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में ई- दाखिल पोर्टल कार्यान्वित किया गया है । संबंधित राज्यों ने निर्णय लिया है और सूचित किया है कि इन राज्यों के उल्लिखित कवर न किए गए जिला उपभोक्ता आयोगों को राज्य के अन्य परिचालन जिला आयोग के साथ जोड़ा गया है

ताकि उपरोक्त कवर न किए गए जिलों की उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके। तदनुसार, संबंधित राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई- दाखिल सॉफ्टवेयर में इसकी मैपिंग की गई है।

ई-दाखिल पोर्टल

4.32 ई-दाखिल पोर्टल के बारे में मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी कि कानफोनेट स्कीम के तहत, आज की तारीख में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और 27 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (जिसमें देश भर में 624 उपभोक्ता आयोग शामिल हैं) में ई-दाखिल पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है और उपभोक्ताओं को इन 624 उपभोक्ता आयोगों में उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्राप्त है।

4.33 विभाग ने यह जानकारी भी दी कि कई राज्यों ने राज्य आयोगों में अपीलों और अन्य प्रकार के आवेदनों (आईए/ एमए) की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा के लिए अनुरोध किया था, इसलिए राज्यों में वांछित सुविधाएं 24 दिसंबर, 2021 से ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से लागू की गई हैं।

4.34 समिति पाती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ था। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे संशोधित स्तर पर संशोधित कर 42 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति को यह जानकर निराशा हुई, कि यह राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं की गई थी और 11.2.2022 को लक्ष्य के लगभग 20.2% से कम थी। समिति यह समझती है कि इस शीर्ष के तहत, उपभोक्ता मंचों को मजबूत करने, उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट) और एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को वित्तपोषित और कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए, समिति का यह मत है कि जब तक आवंटित राशि का उपयोग आवंटन के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन योजनाओं के लक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती हैं कि वे वित्त की कड़ी निगरानी के साथ-साथ उनके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें।

4.35 समिति नोट करती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के वेतन और किराया खर्च के लिए 10 लाख रुपये और 65 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसे

उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि सीसीपीए एक किराए की साइट से क्रियाशील है जिसके लिए 1.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, समिति का सुविचारित मत है कि किराये के परिसर के बजाय, जहाँ जगह की कमी है, सीसीपीए का अपना परिचय होना चाहिए जिसमें उसे अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान हो।

समिति यह नोट करती है कि टेलीविजन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन उनकी वास्तविकता का पता लगाएं बिना प्रसारित किए जा रहे हैं जो देश के उपभोक्ताओं को काफी हद तक गुमराह करते हैं। समिति का मानना है कि अधिकांश उपभोक्ता साक्षर नहीं है और यह पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, ऐसे विज्ञापनों से गुमराह हो जाते हैं और आसानी से फंस जाते और इस तरह उत्पाद के फायदे और नुकसान को सोचे समझे बिना विज्ञापित वस्तुओं को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं और बाद में उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। समिति से देश के निर्दोष उपभोक्ताओं के साथ छल-कपट का कार्य मानती है। इसलिए समिति विभाग को इस व्यापक समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए फर्जी विज्ञापनों पर एक सख्त निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश करती है। इस संदर्भ में समिति यह भी चाहती है कि जिसे एजेंसी/कंपनी के विज्ञापन फर्जी पाए जाते हैं, उन पर भविष्य में भारी जुर्माना या सजा के साथ विज्ञापन की सूची से हटा दिया जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इत्यादि में प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों पर रोक लग सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके। समिति विभाग को इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो, संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने की भी सिफारिश करती है।

उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण

4.36 समिति नोट करती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुरूप अर्ध-न्यायिक उपभोक्ता आयोग चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग को उनके प्रभावी कामकाज के लिए न्यूनतम स्तर की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सके। हलांकि, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि

2019-20 में बजट अनुमान के चरण में 600 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया था जिसे संशोधित कर 494 लाख रुपये कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल 353.62 लाख रुपए हुआ। दोबारा 2020-21 में वास्तविक व्यय पूरा नहीं किया जा सका। समिति इससे बेहद निराश है कि विभाग द्वारा वास्तविक स्तर पर बार-बार कम किए गए आवंटन को भी व्यय किया जा रहा है। समिति इस प्रवृत्ति के कारणों को नहीं समझ पा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति का मानना है कि क्या 2022 देश के बजट अनुमान में प्रस्तावित 600 लाख रुपये की राशि शायद ही पूरी तरह से खर्च हो पाएं और हो सकता है निधि को सरकारी खजाने में वापस कर दिया जाएगा। समिति को आशा है कि विभाग विवेकपूर्ण ढंग से योजना तैयार करने के लिए कड़े कदम उठाएगा और विभाग को 2022-23 में आवंटित निधि को पूर्ण खर्च करेगा।

4.37 समिति यह नोट करती है कि 2021-22 में, जिला उपभोक्ता आयोग भवन और गैर-भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को कुल 279. 40 लाख रुपए का आवंटन जारी किया गया था । समिति इस पहल की सराहना करती है और चाहती है कि उसे इससे संबंधित स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि विभाग को झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों से इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग ने बताया है कि इन अनुरोधों की संवीक्षा की जा रही है। अतः समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह राज्यों के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अंतिम रूप दे और इस संबंध में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निधियाँ जारी करे।

<u>राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन</u>

4.38 समिति नोट करती है कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन योजना को बंद कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि इस योजना को बंद करने का कारण इस योजना का कार्य क्षेत्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (जेडसीएच) के कार्य के सामान होना है। समिति यह भी नोट करती है कि इस योजना के अंतर्गत 464.24 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है और अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो इसका उपयोग नहीं किया है या इसका कम उपयोग किया है तथा इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने उपयोग प्रमाण पत्रों को भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। समिति यह समझ पाने में असमर्थ है कि विभाग राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न करने/कम उपयोग करने के लिए क्या कार्रवाई करेगा। अतः समिति विभाग को यह सुझाव देती है कि वह उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए इस मामले को राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ जोरदार ढंग से उठाए और तदनुसार उन्हें इस मामले में की गई पूरी कार्रवाई से अवगत कराए।

<u>कन्फोनेट</u>

4.39 समिति नोट करती है कि देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग योजना (कन्फोनेट) के अंतर्गत देश भर में सभी तीन स्तरों पर उपभोक्ता आयोगों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाना है ताकि सूचना तक पहुंच आसान बनाई जा सके और मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 31 राज्य आयोगों, 6 सर्किट पीठों (सीबी) और 378 जिला आयोगों में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है

और इसके अलावा, 200 और स्थानों के लिए हार्डवेयर के नए सेट की खरीद/आपूर्ति की जा रही है जिसमें 3 राज्य आयोग, 1 सर्किट बेंच और 196 जिला आयोग शामिल हैं। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि अरुणाचल प्रदेश के 4 स्थानों, छत्तीसगढ़, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में से प्रत्येक के 2-2 स्थानों, जम्मू-कश्मीर में 1, नागालैंड में 3 और लद्दाख में 1 स्थान को तैयार नहीं किए जाने के कारण वहां कन्फोनेट योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। समिति मानती है कि विभाग ने इस संबंध में, उदासीन रवैया अपनाया है और यह पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग कार्यों को आदेशानुसार पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे ताकि इस मामले में उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो। समिति नोट करती है कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान, 13 उपभोक्ता आयोगों के कंप्यूटरीकरण और कन्फोनेट प्रणाली का प्रयोग करने के लिए 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए 2022-23 के बजट में 27.0 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया है। समिति इस पहल की सराहना करती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुरूप उपभोक्ता आयोगों में उपकरणों/हार्डवेयर की स्थापना के लिए आवश्यक रूपरेखा/स्थल तैयार करने आदि कार्यों में तेजी लाए।

<u>ई-दाखिल</u>

4.40 समिति यह नोट करती है कि एनसीडीआरसी और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक ई-दाखिल पोर्टल डिजाइन/विकसित और कार्यान्वित किया गया है जो उपभोक्ताओं को 624 उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि यह केवल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जबकि अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस सुविधा को शीघ्रातिशीघ्र सभी उपभोक्ता आयोगों तक पहुंचाया जाए । समिति चाहती है कि उसे इस मामले के संबंध में प्राप्त होने वाली नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए।

अध्याय - पाँच
मूल्य निगरानी ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाना

विभाग ने सूचित किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए तथा उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को विनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है।

मूल्य रिपोर्टिंग तंत्र

5.2 विभाग ने समिति को अवगत कराया है कि चयनित 22 खाद्य पदार्थों की कीमतों के साथ-साथ उनकी उपलब्धता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक और अन्य बाधाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए 1998 में मूल्य निगरानी प्रभाग (पीएमडी) की स्थापना की गई थी। बाजार मे उपलब्धता में सुधार लाने और कीमतों में नरमी लाने के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में, पीएमडी को देश के 18 केंद्रों में 14 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों की निगरानी का काम सौंपा गया था। लगभग 21 वर्षों की अवधि में, पीएमडी द्वारा निगरानी की जाने वाली वस्तुओं का दायरा बढ़कर 22 हो गया है और रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। पीएमडी द्वारा जिन 22 वस्तुओं की निगरानी की जा रही है, उनमें पांच वस्तुए समूह यानी अनाज (चावल और गेहूं), दालें (चना, तूर, उड़द, मूंग, मसूर), खाद्य तेल (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पाम आयल) शामिल हैं। सब्जियां (आलू, प्याज, टमाटर), और अन्य वस्तुएं (आटा, चीनी, गुड़, दूध, चाय और नमक)। 179 केंद्रों से संकलित जानकारी के आधार पर 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों के खुदरा और थोक मूल्य प्रतिदिन शाम 5.00 बजे तक जारी किए जाते हैं। प्रभावी बाजार हस्तक्षेप विशेष रूप से दालों और सब्जियों को सुनिश्चित करने के लिए, एक पेशेवर एजेंसी, एग्रीवॉच को दो साल के लिए दिसंबर 2020 से लगाया गया है, ताकि साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान की जा सके और एक अर्थमितीय प्रतिरूप आधारित मूल्य पूर्वानुमान विकसित किया जा सके।

बजटीय आवंटन

5.3 वर्ष 2021-22 के दौरान मूल्य निगरानी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए बीई, आरई और एई के प्रश्न पर, विभाग ने बताया कि बीई 2.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। जिसे घटाकर. 1.50

करोड़ रुपये कर दिया गया। वास्तविक 1.38 करोड़ रुपये रहा । 2022-23 के लिए बीई भी 2021-22 के पिछले वर्ष के बराबर अर्थात् 1.50 करोड़ रुपये के बराबर प्रस्तावित किया गया है।

5.4 यह कहा गया है कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर हैं और कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे कि बेमेल मांग और आपूर्ति, मौसमी परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला मे बाधा, जमाखोरी और कालाबाजारी द्वारा बनाई गई कृत्रिम कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली बाधा या भारी बारिश के कारण क्षति के कारण कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, थोक आगमन और लॉजिस्टिक्स समस्याओं से बाजार में भरमार की स्थिति पैदा करने और खुदरा कीमतों में परिणामी गिरावट की संभावना हो जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थानीय करों को लागू करने के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती हैं।

आवश्यक वस्तुओं का विनियमन और प्रवर्तन

5.5 आगे यह भी बताया गया है कि सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी और कालाबाजारी की रोकथाम तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम, 1980 का प्रशासित कर रही है। वर्तमान में, सात आवश्यक वस्तुएं हैं अर्थात दवाएं, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, हंक यार्न, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट का कपड़ा, फसल के बीज (खाद्य फसलें, पशु चारा, फल और सब्जियां, जूट, कपास) ईसी अधिनियम की अनुसूची में शामिल हैं । अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश शक्तियां, खाद्य पदार्थों के अलावा, अन्य के लिए आदेश दिनांक 30.11.1974 द्वारा राज्यों को प्रत्यायोजित की गई हैं, और अन्य के लिए खाद्य पदार्थों के संबंध में दिनांक 09.06.1978 के आदेश द्वारा केंद्र सरकार नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दोनों अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह देता रहता है।

5.6 समिति ने, चोरबाजारी/कालाबाजारी आदि के संबंध में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई छापेमारी के विवरण के बारे में जब विभाग से पूछा, तो विभाग ने एक लिखित उत्तर में, नीचे दिए गए आंकड़ेे बताए:

वर्ष	**मारे गए छापे**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्ति**	**अभियोजित व्यक्ति**	**दोषसिद्ध व्यक्ति**	**जब्त माल की कीमत (लाख रु. मे)**	**जारी किए गए नज़रबंदी आदेश**
2019	139644	7467	4774	2376	4341.76	111
2020	165250	10005	3662	712	6570.44	196
2021	116872	15450	5620	1034	7625.38	160

हितधारकों के साथ बैठकें

5.7 हितधारकों के साथ बैठक के बारे मे जब पूछा गया तो विभाग ने बताया कि व्यापक जनहित में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति को सुगम बनाने का एक तरीका यह है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों के व्यापारियों /डीलरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके उनसे (व्यापारियों/डीलरों) से इन वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता के बारे में फीडबैक प्राप्त किया जा सके और उन्हें इस बात के लिए सहमत किया जाए कि वे जमाखोरी, सट्टा व्यापार, मुनाफाखोरी, अनुचित और अवैध व्यापार प्रथाओं जैसे कार्टेलिंग से बाज आएं। इस संदर्भ में सभी राज्यों/केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य और जिला स्तरों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के हितधारकों के साथ नियमित बैठकें करें।

2022-23 के लिए लक्ष्य

5.8 एक प्रश्न कि आगामी बजट वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया है:

"वर्ष 2022-23 के लिए 1.50 करोड़ रुपये के बजट के साथ, विभाग ने 50 नए मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यह मूल्य से संबंधित अध्ययन के लिए कम से कम 1 स्वतंत्र पेशेवर संगठन की सेवाएं प्राप्त करने की भी योजना बना रहा है। विभाग की योजना प्रत्येक 5 जोनों के लिए 5 क्षेत्रीय सम्मेलन सह प्रशिक्षण और बाजार दौरे आयोजित करने की भी है।"

5.9 समिति नोट करती है कि बजट अनुमान चरण में 2.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी जिसे कम करके 1.50 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने इस आवंटन में से 11.2.2022 तक 1.38 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 को समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है अतः समिति को लगता है कि शेष धनराशि खर्च नहीं हो पाएगी जिसके परिणामस्वरुप शेष धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा करना होगा। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग अपनी योजना विवेकपूर्ण ढंग से तैयार करे ताकि निर्धारित निधि को समय पर खर्च किया जा सके और उपभोक्ताओं को इस संबंध में, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग मूल्य संबंधी अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र व्यवसायिक संगठन की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि दिनांक 30.11.1974 और 9.6.1978 के आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय

अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिकांश शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। तथापि, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संगत अधिनियमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने और छापों के माध्यम से इन अधिनियमों का प्रवर्तन करने की नियमित रूप से सलाह देती रहती है। समिति ने यह पाया है कि इतनी अधिक संख्या में छापों/अभियोजन/दोषसिद्धि/निरूद्ध के मामलों के बावजूद केवल 10005 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2020 में इनमें से केवल 712 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया । इसी प्रकार से 2021 में गिरफ्तार किए गए 15450 व्यक्तियों में से केवल 1034 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। समिति छापों की तुलना में इतनी कम संख्या में अभियोजन के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। समिति मानती है कि चूककर्ता अधिनियमों में निहित प्रावधानों की खामियों का लाभ उठा रहे होंगे अथवा अभियोजन से बचने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर ली होगी और अभियोजन से बचने के बाद वे पुनः भ्रष्टाचार करने लगेंगे । अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को दोषी न ठहराए जाने और उन पर मुकदमा न चलाए जाने के कारणों का पता लगाए तथा उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए तुरंत कारवाई करे और यदि आवश्यक हो तो संगत अधिनियमों में संशोधन करे।

अध्याय –छह

मूल्य स्थिरीकरण कोष

समिति को बताया गया कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू, और दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी वस्तुओं के स्फीति संबंधी रूझानों का निपटान करने के लिए 500 करोड़ रुपये की कायिक निधि के साथ की गई थी। इस वस्तुओं को किसानो/किसान संगठनो से बाजार मूल्यों में अनुमानित वृद्धि के मामले में भंडारित किया जाएगा और मूल्यों को कम करने के लिए बाद में बेचा जाएगा। सरकार द्वारा किए गए ऐसे बाजार उपाय न केवल उपयुक्त बाजार संकेत भेजने में मदद करेंगे बल्कि सट्टेबाजी/ जमाखोरी गतिविधियों को भी रोकेंगें। प्रारंभ में, कोष का उपयोग प्याज और आलू जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं, जिनकी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, के मामले में किए जाने वाले बाजार उपायों के लिए किया जाना था। बाद में, दालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। स्कीम के अनुसार, मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग ऐसे बाजार उपाय करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/एजेंसियों को कार्यशील पूंजी के ब्याज रहित अग्रिम राशि देने के लिए किया जाएगा। अब मूल्य स्थिरीकरण कोष से कृषकों/थोक बिक्री मंडियों से घरेलू खरीद हेतु सहायता के अलावा आयात भी किया जा सकता है।

6.2 विभाग ने आगे सूचित किया कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, मूल्य स्थिरीकरण कोष 1 अप्रैल, 2016 से उपभोक्ता मामले विभाग को हस्तांतरित किया गया। केंद्र में मूल्य स्थिरीकरण प्रचालन का निर्धारण मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (पीएसएफएमसी) द्वारा किया जाता है जिसका पुनर्गठन, स्कीम के हस्तांतरण के बाद किया गया था और सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग इसके अध्यक्ष हैं। कायिक निधि का प्रबंधन लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) द्वारा किया जाता है। वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अध्यक्षता में पीएसएफ निकाय से अधिशेष का निवेश करने के लिए एक उप-समिति भी है। अब तक पुनर्गठित पीएसएमएफसी की 53 बैठकें आयोजित की गई हैं।

6.3 विभाग ने वर्ष 2018 19-से 2021-22 तक पीएसएफ निकाय के अंतर्गत वार्षिक बजट आबंटन और वास्तविक व्यय की तिथि निम्नवत् बताई-:

रूपये करोड़ में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2018-19	1500	1500	1500
2019-20	2000	1820	1713
2020-21	2000	11800	11135.30
2021-22	2700	2250	2016*
2022-23	1500		

* व्यय 31.12.2021 तक

6.4 उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष बताया कि:

"सर, हम उन्हें सभी योजनाओं का दस प्रतिशत प्रदान कर रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरई स्तर पर योजनाओं की निगरानी करते हैं" एक्चुअल एक्सपेंडिचर थोड़ा कम है, हम उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि इस दस प्रतिशत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में हमेशा कमी रहती है। वे ज्यादातर समय प्रस्ताव नहीं देते हैं। नॉर्थ-ईस्ट से प्रपोजल नहीं आता है। जो भी प्रस्ताव होता है, हम उन्हे देते रहते हैं।

6.5 साक्ष्य के दौरान, उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष बताया कि:

"... पीएफएस में एक 5000 करोड़ रुपये के ऑर्डर का कायिक कोष उपलब्ध है"।

प्याज का बफर

6.6 समिति को सूचित किया गया है कि अप्रैल से जुलाई, 2021 के दौरान किसानों/एफपीओ से रबी-2021 फसल खरीदकर मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत 2021-22 में 2.08 एलएमटी से प्याज का बफर बनाया गया था। स्टॉक को खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से अगस्त, 2021 के अंतिम सप्ताह से उन शहरों/राज्यों के लिए कैलिब्रेटेड और लक्षित तरीके से जारी किया गया, जहां कीमतें अधिक पाई गईं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों (सफल/एनसीसीएफ) को भी उपभोक्ताओं को खुदरा आपूर्ति के लिए 21 रुपये/किलोग्राम एक्स-स्टोरेज स्थानों की रियायती दर की गई थी।

6.7 केंद्रीय बफर के अंतर्गत वर्ष 2019-20, 2020- 21और 2021-22 के दौरान खरीदे गए, आयातित और खराब होने के कारण नुकसान होने वाले प्याज की मात्रा का विभाग ने एक लिखित उत्तर मे निम्नवत बताया:

वर्ष	**वस्तु**	**विभाग**	**खरीद**	**जारी की गई राशि (लाख में)**	**खराब होने के कारण (सूख हानि/ कमी /डम्पिंग)**
मीट्रिक टन			**मीट्रिक टन**		
2019-20	प्याज (रबी)	डीओसीए	57,372.94	61.11	18,657.37
2019-20	प्याज (खरीफ)	डीओसीए	914.98	5	0.64
2019-20	आयातित प्याज (तुर्की)	डीओसीए	13,013.25	325.50	2,093.92
2019-20	आयातित प्याज (मिस्र)	डीओसीए	5,513.24		12.05
2020-21	प्याज (रबी)	डीओसीए	98,740.60	124.80	26,637.81
2020-21	प्याज (खरीफ)	डीओसीए	104.24		4.97
2020-21	आयातित प्याज (मिस्र)	डीओसीए	2,950.35		37.03
2020-21	आयातित प्याज (ईरान)	डीओसीए	15.91		-
2021-22	प्याज (रबी)	डीओसीए	2,08,033.33	502.37	
कुल			**3,86,658.82**	**1,020.78**	51,582.74

6.8 वर्ष 2022-23 के लक्ष्य के प्रश्न पर विभाग ने उत्तर दिया है कि उसने 2.5 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद और दालों की कीमतों में उतार-चढ़ाव मे भिन्नता को स्थिर करने का लक्ष्य रखा है। दालों की खरीद का लक्ष्य 7.38 लाख मीट्रिक टन तूर का 3.45 लाख मीट्रिक टन उड़द, 3.18 लाख मीट्रिक टन, चना का और 1.00 लाख मीट्रिक टन मसूर का ।

राज्य कायिक निधि

6.9 राज्य कायिक निधि के बारे मे विभाग ने प्रतिक्रिया दी कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के लिये मूल्य स्थिरीकरण कोष से निधि ले सकते हैं, जिसका उपयोग

हस्तक्षेप कर कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण के लिए किया जाएगा। मूल्य स्थिरीकरण कोष कायिक से ब्याज मुक्त अग्रिम राशि केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य स्तर कायिक दोनों को दी जा सकती है। राज्य स्तरीय कायिक निधि भारत सरकार और राज्य के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले 75:25 है) के अनुपात में हिस्सेदारी पैटर्न के आधार पर होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिरीकरण कार्यों का प्रबंधन राज्य स्तर की मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और राज्य स्तरीय कायिक कोष द्वारा संचालित किया जाता है। उन राज्यों की सूची जिन राज्यों ने राज्य स्तरीय पीएसएफ की स्थापना की है के लिए विभाग द्वारा छह राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा जारी निधियां तथा वस्तुए जिन मे हस्तक्षेप किया जा रहा है के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य स्तरीय - मूल्य स्थिरीकरण कोष

राज्य	कुल पीएसएफ निधि (करोड़ रु. में)	राज्य का भाग (करोड़ रु. में)	केंद्र का भाग (करोड़ रु. में)	**वस्तु**
आंध्र प्रदेश	100	50	50	प्याज,आलू और दाले
तेलंगाना	18.31	9.15	9.15	प्याज
पश्चिम बंगाल	10	5	2.50	प्याज
ओडिशा	100	50	25	प्याज, आलू और दाले
तमिलनाडु	10	5	2.50	प्याज और आलू
असम	200	50	75	प्याज और और मसूर दाल
कुल जारी	438.31	169.15	164.15	

6.10 निगरानी तंत्र के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष (एसएलपीएसएफ) की निगरानी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति (एसएलपीएसएफएमसी) द्वारा की जानी है। यह भी बताया गया है कि डीओसीए राज्य पीएसएफ कॉर्पस के उपयोग की प्रगति की निगरानी बैठकों/ वी सी के माध्यम से करता है। और समय-समय पर राज्यों से उपयोगिता स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखे विवरण मांग कर करता है।"

बफर वस्तुएं

6.11 समिति नोट करती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (सीपीएसएफएमसी) द्वारा केंद्र में मूल्य स्थिरीकरण प्रचलनों का निर्धारण किया जाता है जिसके पुनर्गठन के बाद से 53 बैठकें हो चुकी हैं। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने वर्ष 2019-20 2020-21 और 2021-22 में पीएसएफ के अंतर्गत आवंटित निधियों में से क्रमश: 93.60%, 94.36% और 89.6,% व्यय कर दिया है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान खराब होने के कारण 51582.74 मीट्रिक टन प्याज बर्बाद हो गया था। समिति ने पाया कि हाल के महीनों में प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई है और इतनी अधिक मात्रा में प्याज की बर्बादी होना विभाग के खराब प्रबंधन को दर्शाता है, जिसने आगामी बजट वर्ष 2022-23 में अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा 2.5 एलएमटी प्याज खरीदने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्याज की भारी मात्रा में खरीद और इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था करे ताकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज के मूल्यों में आए दिन होने वाले उतार-चढ़ाव को रोका जा सके तथा कालाबाजारी को रोका जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग यथापरिश्रम और अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ बाजार मध्यस्थता का संचालन करे और विशेषकर बाजार अस्थिरता संभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित निगरानी करे।

राज्य स्तरीय कोष निधि

6.12 समिति नोट करती है कि राज्य स्तरीय कोष निधियां केंद्र-राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी के आधार पर सृजित की जाती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच आंध्र प्रदेश; तेलंगाना;पश्चिम बंगाल; ओडिशा; तमिलनाडु और असम में केंद्र की 50.00 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए केंद्र की ओर से कुल 164.15 करोड रुपए जारी किए गए थे। हालांकि मंत्रालय बैठकें बुलाकर/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और समय-समय पर संबंधित राज्यों से राज्य उपयोग प्रमाण पत्र और

लेखा विवरण मंगवाकर निधियों के उपयोग की निगरानी करता रहता है परंतु फिर भी समिति ने पाया है कि या तो अधिकांश राज्य उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा इसे प्रस्तुत करने में विलंब करते हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों की ओर से निधियों के व्यय को सुनिश्चित करने के लिए उनके लेखा विवरणों की कड़ी निगरानी करने तथा उनसे अनिवार्य रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

अध्याय –सात

उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार)

समिति को बताया गया कि उपभोक्ता जागरूकता स्कीम के तहत आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन ब्यूरो (बीओसी)/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), आकाशवाणी (एआईआर), दूरदर्शन (डीडी), लोकसभा टेलीविजन (एलएसटीवी) और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) जैसे अन्य संगठनों के माध्यम से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और सोशल मीडिया के रूप में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस स्कीम के तहत, स्थानीय विषयों पर आधारित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भी धनराशि जारी की जाती है। इन निधियों का उपयोग नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्थानीय प्रदर्शनियों, नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मेलों/त्योहारों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोग भाग लेते हैं, यह विभाग विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मेलों/त्योहारों में भी भाग लेता है। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग सक्रिय रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहा है। विभाग उपभोक्ता जागरूकता पर पोस्टर प्रदर्शित कर देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उपयोग कर रहा है। स्क्रॉल संदेशों, लैपटॉप ब्रांडिंग, लोकसभा टेलीविजन और दूरदर्शन पर समाचार रिपोर्ट कैप्शन के माध्यम से अभिनव अभियान चलाए गए हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए, आकाशवाणी (एआईआर) पर प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम (एसआरपी) और एड लिब्स (आरजे द्वारा संदेश) प्रसारित किए जा रहे हैं।

बजटीय आवंटन

7.2 इस योजना के अंतर्गत 2021-22 में बीई, आरई और वास्तविक के प्रावधान के एक प्रश्न पर, विभाग ने एक लिखित उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि इस वर्ष रुपये के बीई के लिए 44.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे जिसे संशोधित स्तर पर कम करके. 23.00 रु करोड़ किया गया। उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) के संबंध में वास्तविक व्यय 21.99 करोड़ रु .किया गया । वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 25.00 करोड़ रु.।

वित्तीय उपलब्धि

7.3 विभाग ने बताया कि 11 फरवरी, 2022 तक, आरई का 95.61% उपयोग किया गया था और वित्तीय वर्ष के अंत तक शेष राशि का उपयोग करने के लिए काम चल रहा है।

सोशल मीडिया पर फोकस

7.4 चूंकि सरकार 25.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ शून्य प्रसार लागत पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए सोशल मीडिया की उपस्थिति और ब्रांड पहचान बढ़ाने के लिए एक प्रतिष्ठित पेशेवर एजेंसी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

7.5 समिति यह नोट करती है कि उपभोक्ता जागरुकता योजना के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2021-22 के लिए 44.50 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया था और इस प्रस्ताव में से संशोधित अनुमान चरण में केवल 51% अर्थात 23 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। समिति यह देख कर अत्यंत निराश है कि इस राशि में से विभाग ने 11 फरवरी 2022 तक 21.9 करोड रुपए अर्थात 95.61 प्रतिशत का ही उपयोग किया है। 2022-23 के बजट में 25.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। समिति यह नहीं समझ पाई है कि विभाग बजट अनुमान स्तर पर भारी राशि का प्रस्ताव करता है जिसे संशोधित करके काफी हद तक कम कर दिया जाता है परंतु फिर भी संशोधित निधियों का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है या उन्हें खर्च ही नहीं किया जाता है तथा उन्हें सरकारी राजकोष में वापस जमा कर दिया जाता है । अतः समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि वास्तविक व्यय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे योजना का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है और योजना बनाने की पूरी कवायद बेकार होती है जिसके परिणामस्वरूप धन को वापस सरकारी राजकोष में जमा करना पड़ता है। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय अपनी योजनाएं वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार करे ताकि इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति की योजना बाधित न हो और इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से शून्य प्रसार लागत पर जागरुकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है। समिति विभाग की इस पहल की सराहना करती है और यह राय देती है कि यदि इसे राजकोष पर लागत का बिना कोई भार डाले अक्षरशः कार्यान्वित किया जाता है तो इससे काफी लाभ होगा। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

अध्याय- आठ
विधिक मापविज्ञान का सुदृढीकरण

1. बाट और माप

समिति को विभाग ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) बाट-माप अधिनियम, 1976 और बाट-माप)प्रवर्तन (अधिनियम, 1985 के मानकों को निरस्त करने के बाद 01.04.2011 से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सात नियम बनाए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने कानूनी माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम बनाए हैं। उपभोक्ता हि त के संरक्षण के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत निम्नलिखित विधिक माप विज्ञान नियम बनाए गए हैं:

(क) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) नियम, 2011

(ख) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011

(ग) विधिक मापविज्ञान (मॉडल का अनुमोदन)नियम, 2011

(घ) विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक)नियम, 2011

(ङ) विधिक मापविज्ञान (गणन)नियम, 2011

(च) भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान नियम, 2011

(छ) विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2011

बजटीय आवंटन

8.2 योजना के बजटीय आवंटन के एक प्रश्न पर, विभाग ने बताया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिक मापविज्ञान अवसंरचनाओं, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची और समय प्रसार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए के लिए वर्ष 2021-22 के बीई, आरई और वास्तविक व्यय क्रमशः 15.00 करोड़ रु.; 7.14 करोड़ रु. और 6.51 करोड़ रु. है। 2022-23 के लिए बीई 7.00 करोड़ रुपये है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधिक माप विज्ञान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

8.3 विभाग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की विधिक माप विज्ञान विभाग अवसंरचना, नामतः प्रयोगशाला भवन का निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता निर्माण को समग्र रूप से बढ़ाना है, ताकि बाट और माप कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन हो। इस स्कीम का

उद्देश्य बाट और माप कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन करके बेहतर उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना है।

8.4 आगे यह भी बताया गया कि उक्त स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद एक सतत स्कीम है, जिसमें प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जारी करना, किसी भी लेन-देन में उपयोग किए गए बाट और माप के सत्यापन के लिए मानक उपकरणों की आपूर्ति और विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन प्राधिकारियों की सुरक्षा और क्षमता निर्माण शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत, नियंत्रक कार्यालय के निर्माण एवं अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाता है। इस स्कीम के तहत वितरण इकाइयों के लिए मानक उपकरण जैसे सीएनजी/एलपीजी परीक्षण किट, स्फिग्मोमैनोमीटर परीक्षण किट, नैदानिक थर्मामीटर परीक्षण किट, मोबाइल वेटब्रिज परीक्षण किट कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

8.5 सहायता अनुदान के सम्बन्ध में विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

" प्रयोगशाला भवनों अर्थात् माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल), कार्यशील मानक प्रयोगशाला, नियंत्रक का कार्यालय आदि के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किया गया था। इस कार्यालय को मिजोरम, मध्य प्रदेश और केरल से अनुरोध प्राप्त हुआ है, लेकिन किसी ने भी सहायता अनुदान के लिए पहले उपयोग प्रमाण पत्र और उसके लिए पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं और इसलिए, सहायता-अनुदान जारी नहीं किया गया था। एक अन्य घटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक उपकरणों की आपूर्ति करना है, लेकिन बजट अनुमान संशोधित होने के बाद मांग प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे प्राप्त नहीं किया गया था। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 3 करोड़ रूपए निर्धारित किये गए हैं और जैसाकि मांग किए गए हैं मानक उपकरण उपलब्ध करे जायेंगे। हालांकि, राज्य सरकारों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर नई पहल पर 24-25 नवंबर, 2021 के दौरान एनआईटीएस नोएडा में सफलतापूर्वक कार्यशाला आयोजित की गई थी।"

क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) और भारतीय विधिक मापविज्ञान (आईआईएलएम), रांची का सुदृढीकरण

8.6 समिति को सूचित किया गया कि क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं वाणिज्यिक स्तर तक विधिक माप विज्ञान के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। प्रयोगशालाएं राज्यों के विधिक मानकों का सत्यापन, तोलन और मापन उपकरणों का अंशाकन, तोलन और मापन उपकरणोंका मॉडल अनुमोदन परीक्षण, बाट तथा माप संबंधी प्रशिक्षण एवं सेमिनारों

हेतु उपयुक्त यथार्थता के लिए निर्देशित मानकों को बनाए रखती हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला, क्षेत्र के उद्योगों को अंशाकन सेवाएं प्रदान करती हैं।

i. क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाए अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

ii. आरआरएसएल के परिसर में, वाराणसी एनटीएच और बीआईएस उपग्रह केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

iii. नागपुर, महाराष्ट्र में एक और आरआरएसएल स्थापना के अधीन है।

8.7 मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि इस स्कीम का उद्देश्य द्रव्यमान, मात्रा और लंबाई माप में मौजूदा सुविधा को पूरा कर क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) का सुदृढ़ीकरण करना है। उक्त स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद एक सतत स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य बेहतर उपभोक्ता संरक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। प्रयोगशाला उपकरण जैसे रक्तदाबमापी परीक्षण किट, नैदानिक थर्मामीटर परीक्षण किट, लेजर आधारित लंबाई माप उपकरण आदि किसी भी लेन-देन और सुरक्षा में प्रयुक्त बाट एवं माप के कैलिब्रेशन के लिए क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला (आरआरएसएल) और भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

8.8 यह भी बताया गया कि आरआरएसएल, वाराणसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 23.12.2021 को किया गया था। इसके अलावा, यह भी निवेदन किया जाता है कि आरआरएसएल, नागपुर में पॉकेट बी' भूमि की खरीद के लिए जारी की गई निधि, जिसके लिए पहले खरीदी गई पॉकेट 'सी' और 'डी' भूमि के अलावा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आरआरएसएल के रखरखाव के लिए सीपीडब्ल्यूडी को एलओए जारी किया गया है और आरआरएसएल, बैंगलोर में हाई-टेक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए भी जारी किया गया है, और हाई-टेक प्रयोगशाला के लिए शेष कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। एक अन्य घट,क आरआरएसएल को मानक उपकरण की आपूर्ति करना है, लेकिन बजट अनुमान संशोधित होने के बाद मांग प्राप्त हुई थी इसलिए इसे प्राप्त नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 4 करोड़ निर्धारित किए गए हैं और विभाग ने कहा है कि आरआरएसएल, नागपुर के निर्माण और अन्य आरआरएसएल के रखरखाव के लिए फंड जारी किया जाएगा। हालांकि, विभाग ने समिति को सूचित किया कि क्षमता निर्माण के तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी प्रावधान है जो कोविड-19 के कारण प्राप्त नहीं किया गया था।

लक्ष्य की नाममात्र प्राप्ति

8.9 वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की नाममात्र प्राप्ति के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि:

"(i) राज्य सरकार, पूर्व में उन्हें जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकी, जिसके कारण वर्ष 2021-22 के दौरान आगे सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया। बजट संशोधित होने के बाद राज्य सरकार की ओर से भी मांग प्राप्त हुई थी।

(ii) आरआरएसएल, नागपुर की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जिसके कारण निर्माण में देरी हुई और बाद में अतिक्रमित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि प्रदान की गई। अब इस विभाग ने उप निदेशक, आरआरएसएल, नागपुर से आरआरएसएल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बजट संशोधित होने के बाद भी आरआरएसएल से मांग प्राप्त हुई थी।"

2022-23 हेतु आवंटन व्यय करने के लिए योजनाएं

8.10 मंत्रालय ने समिति को यह भी सूचित किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कानूनी माप विज्ञान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए के संबंध में 3.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में मानक उपकरणों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों से मांग प्राप्त की गई है, जिन्हें वितरित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

8.11 आरआरएसएल और आईआईएलएम के सुदृढ़ीकरण के संबंध में, यह कहा गया है कि विभाग आरआरएसएल, नागपुर के निर्माण और आरआरएसएल के रखरखाव तथा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधि जारी करके 4.00 करोड़ रुपये का विनियोजन करेगा।

8.12 इसके अतिरिक्त, भारत सरकार टकसाल, मुंबई के माध्यम से राज्य सरकार/आरआरएसएल को मानक उपकरण की आपूर्ति की जाएगी।

समय प्रसार

8.13 समय प्रसार के सम्बन्ध में भारत में, सात आधार इकाइयों में से एक, समय का प्रसार, केवल एक स्तर पर रखा जा रहा है जो एनपीएल, नई दिल्ली में है। 2016 में कैबिनेट सचिवालय द्वारा गठित

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सचिवों के समूह ने सिफारिश की है कि, "वर्तमान में, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और 'इंटरनेट सेवा प्रदाता' (आईएसपी) द्वारा भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य रूप से नहीं अपनाया जा रहा है। विभिन्न प्रणालियों में समय की एकरूपता न करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा साइबर अपराध की जांच में समस्याएं पैदा करता है। इसलिए, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा में वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय समय के साथ देश के भीतर सभी नेटवर्कों और कंप्यूटरों का समकालिकीकरण बहुत जरूरी है। सटीक समय प्रसार के साथ-साथ सटीक समय तुल्यकालन का सभी सामाजिक, औद्योगिक, रणनीतिक और कई अन्य क्षेत्रों जैसे पावर ग्रिड विफलताओं की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग प्रणालियों, सड़क और रेलवे में स्वचालित सिग्नलिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अनुरोध पर उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के सहयोग से अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित विधिक माप विज्ञान (एलएम) की पांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया है और 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए गए हैं। भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए परमाणु घड़ियों की स्थापना की परियोजना को निष्पादित करने के लिए सीएसआईआर-एनपीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एमओयू के तहत, समय एन्सेम्बल स्थापित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद एनपीएल द्वारा की जाएगी जो एलएम कर्मियों को उपकरण संचालन पर प्रशिक्षण सहित इसे लगाने और चालू करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। एनपीएल एलएम को हैंडहोल्ड करेगा और अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस एमओयू में बेंगलुरु के आरआरएल में आपदा राहत केंद्र (डीआरसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। परिचालन प्रयोगशाला स्थान और तकनीकी जनशक्ति आरआरएसएलएस द्वारा प्रदान की जाएगी और परियोजना को उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। भारतीय मानक समय और इसके प्रसार के कार्यान्वयन से समय के प्रसार में त्रुटि को कम कर दिया जाएगा जो केवल कुछ मिली से माइक्रो सेकंड तक होगा। सही समय प्रसार से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साइबर सुरक्षा में वृद्धि होगी।

समय प्रसार के लिये बजटीय आबंटन

8.14 बजटीय आबंटन के बारे मे पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान समय प्रसार की परियोजना के लिए बीई, आरई और एई क्रमश 30.00 करोड़ रुपये, 9.736 करोड़ रुपये और 0.65 (3.12.2021तक) करोड़ रुपये हैं।

8.15 कम व्यय के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि 9.736 करोड़ रुपये में से 9.035 करोड़ रुपये उपकरण की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को जारी किया जाएगा। वर्ष 2022-23 हेतु समय प्रसार के लिए 10 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। विभाग ने समिति को प्रस्तुत एक लिखित उत्तर में कहा है कि आरआरएसएल में समय प्रसार और समय प्रयोगशालाओं के रखरखाव के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को निधि जारी की जाएगी।

8.16 समिति को आगे सूचित किया गया है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित विधिक माप विज्ञान (एलएम) की पांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए समय प्रसार परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसे लागू करने के लिए दिनांक 28.12.2018 को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल), सीएसआईआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना मार्च, 2023 तक पूरी हो जाएगी। वर्तमान में एनपीएल, नई दिल्ली को 57.88 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 12.16 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

आईएसटी की स्टांपिंग का लक्ष्य

8.17 राष्ट्रीय घड़ी पर आधारित विभिन्न लेन-देन में आईएसटी की उचित स्टांपिंग के लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सीएसआईआर-एनपीएल पांच आरआरएसएल स्थानों पर सेकेंडरी टाइम एंसेम्बल को सीएसआईआर-एनपीएल के प्राइमरी टाइम स्केल के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। आरआरएसएल, बैंगलोर में डीआरसी को सीएसआईआर-एनपीएल द्वारा स्थापित और संस्थापित किया जाएगा, जिसके लिए बीआईपीएम , पेरिस, फ्रांस से ट्रेसेबिलिटी की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर में यह भी बताया गया कि परियोजना का विकास किया जा रहा है और उसके बाद विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समय प्रसार सेवा के लिए नीति तैयार की जाएगी।"

8.18 विभाग ने विस्तार से बताया है कि सरकार ने विभिन्न लेनदेन में आईएसटी की उचित स्टांपिंग के लिए अगस्त, 2022 की समय सीमा निर्धारित की है।

कार्यनीतियां

8.19 विभाग द्वारा समय प्रसार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों के सम्बन्ध में समिति को सूचित किया गया है कि समय-प्रसार परियोजना की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए

समय-समय पर उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता के अंतर्गत एनपीएल, अधिकारियों, इसरो और आरआरएसएल के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

8.20 यह पूछे जाने पर कि क्या विभाग पावर ग्रिड की विफलता जैसी आधुनिक संभावनाओं के बारे में चिंतित है, यह बताया गया कि विधिक मापविज्ञान विभाग इससे संबंधित नहीं है।

2. भारतीय मानक ब्यूरो

8.21 भारतीय मानक संस्थान (बीआईएस) की स्थापना 1947 में अस्तित्व में आई भारतीय मानक संस्था (आईएसआई) की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अंतर्गत लेकर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक संगठन के रूप में की गई थी। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 32 शाखा कार्यालय और 8 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है।

8.22 12 अक्टूबर 2017 से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 लागू हुआ और बाद में शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसकी तीसरी बैठक 01 मार्च, 2021 को हुई।

8.23 बीआईएस के अधिदेश के सम्बन्ध में समिति को सूचित किया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो को वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाले मानक तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। ब्यूरो, मानकों को अद्यतन बनाकर**,** उभरते क्षेत्रों के लिए नए मानक विकसित करके और गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माल और सेवा क्षेत्र को प्रमाणन प्रदान करके उद्योग और सेवा क्षेत्र को तकनीकी सहायत प्रदान करता है।

गोल्ड हॉलमार्किंग का सुदृढ़ीकरण, मानक संबंधित क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास कार्य

8.24 यह भी सूचित किया गया है कि बीआईएस केंद्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण परख और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना के लिए योजनागत स्कीम लागू कर रहा है।

बजटीय प्रावधान

8.25 बजटीय प्रावधान के एक प्रश्न पर, विभाग ने एक लिखित उत्तर में कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान रु. 0.75 करोड़ रुपये को नीचे संशोधित करके 0.10 करोड़ रुपये किया गया था। लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था। 2022-23 के लिए बजट अनुमान 0.75 करोड़ रुपये है।

8.26 आगे कहा गया है कि योजना के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए 06 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वर्ष 2021-22 में रु. 6.4 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

क्षमता निर्माण- एसेईंग और हॉलमार्किंग (ए एंड एच) केंद्रों की स्थापना

8.27 इस घटक के अंतर्गत सरकारी स्कीम के तहत एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। भारत में 'स्वर्ण एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना 'के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता की दर ,जहां कोई एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र)सहायता प्राप्त या अन्यथा (मौजूद नहीं है ,निम्नानुसार है- :

क्षेत्र	दर	
	निजी उद्यमियों के लिए	पीएसयू के लिए
सामान्य	30%	50%
एनई -उत्तर पूर्वी राज्य ;एससीएस -विशेष श्रेणी के राज्य ;आरए -ग्रामीण क्षेत्र *विशेष श्रेणी के राज्यों में सिक्किम ,जम्मू और कश्मीर ,हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं ,संबंधित नगरपालिका अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा और पहचान का आधार है*	50%	75%

8.28 वित्तीय आवंटन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में सूचित किया कि 2022-23 के दौरान व्यय के लिए 75लाख रुपये का बजट अनुमान आवंटित किया गया है। राशि का उपयोग एएचसी को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा ,जिसे पिछले ईओआई के सापेक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए और स्कीम के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए दिया गया था।

8.29 यह भी सूचित किया गया है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता अथवा उत्कृष्टता के संबंध में उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष का आश्वासन प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग अप्रैल, 2000 को प्रारम्भ की गई थी। चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों के हॉलमार्किंग की स्कीम अक्तूबर, 2005 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, ज्वैलरों को हालमार्क किए गए आभूषणों को बेचने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तथापि, लाइसेंसी ज्वैलर द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की घोषित उत्कृष्टता सहित शुद्धता के आकलन की घोषणा करने और संगत भारतीय मानक के अनुरूप पाये जाने वाले आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने के लिए एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है।

8.30 इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, हॉलमार्किंग लाइसेंस की संख्या 34,487 से बढ़कर 1,31,894 तक हो गई जबकि भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेइंग और1 जनवरी, 2021 से 25 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, हॉलमार्किंग केन्द्रों की

संख्या 943 से बढ़कर 990 हो गई। इसी अवधि के दौरान, स्वर्ण और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों की 6.98 करोड़ वस्तुओं को हालमार्कयुक्त किया गया।

8.31 विभाग ने आगे बताया कि स्वर्ण आभूषणों/कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश **23** जून **2021** को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो देश के **256** जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाता है जहां कम से कम एक परख और हॉलमार्किंग केंद्र है। अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश केवल **14, 18** और **22** कैरेट सोने के आभूषणों/कलाकृतियों पर लागू होता है। यह आदेश सोने के आभूषण और कलाकृतियां बेचने वाले सभी ज्वैलर्स के लिए बीआईएस के साथ पंजीकरण और हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण और कलाकृतियों को बेचने के लिए अनिवार्य बनाता है।

एएचसी स्थापित करने में रुचि

8.32 मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2021-22 की परिचालन अवधि के दौरान 85 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 59आवेदकों को कार्यान्वयन समिति)आईसी (द्वारा 20दिसंबर 2021 को आयोजित अपनी 35वीं बैठक में कार्य आरंभ करने की अनुमति दी गई है । कार्यान्वयन समिति द्वारा कार्य आरंभ करने की अनुमति देने के बाद आवेदकों को केंद्र स्थापित करने और अधिमानतः 06 महीने के भीतर मूल्यांकन के लिए तैयार रहने की सलाह दी गयी है।

8.33 मंत्रालय ने आगे बताया कि कोविड की स्थिति में सुधार आने और अनिवार्य हॉलमार्किंग का कार्यान्वयन होने के साथ यह उम्मीद की जाती है कि 2022-23 के दौरान केंद्रीय सहायता स्कीम के तहत कमी वाले जिलों में अधिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त बीआईएस इन आवेदकों के साथ एक प्रारंभिक सेटअप और यदि कोई आवश्यक हो, सहायता के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

क्षमता निर्माण

8.34 क्षमता निर्माण पर, मंत्रालय ने बताया है कि क्षमता निर्माण के घटक के तहत, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, यानी कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ए एंड एच कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बीआईएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए, सरकार ने कारीगरों के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम, ए एंड एच केंद्र कर्मियों के लिए 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम और ए एंड एच केंद्रों की लेखा परीक्षा के लिए बीआईएस के 25 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 8 करोड़ शिल्पों को हॉलमार्क करने की भी योजना है।

8.35 यह भी कहा गया है कि लक्ष्य को सकारात्मक रूप से प्राप्त करने की सलाह के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों को 2022-23 के लिए बीआईएस के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय परीक्षण शाला

8.36 राष्ट्रीय परीक्षण शाला के मुद्दे पर समिति को सूचित किया गया कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय परीक्षण शाला ने एक लंबी यात्रा की और वर्ष 2021 में इसने राष्ट्र के लिए 109 वर्ष की समर्पित सेवा पूरी की।

8.37 नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) परीक्षण, गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला बन गया है और लगभग सभी प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यह स्वदेशी उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के तहत औद्योगिक अनुसंधान और तैयार उत्पादों के निर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेशनल टेस्ट हाउस का मुख्यालय कोलकाता में है और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर और गुवाहाटी में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।

8.38 राष्ट्रीय परीक्षणशाला को गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री मूल्यांकन, मानकीकरण और औद्योगिक विकास में सहायता के क्षेत्र में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए समर्थ बनाने हेतु इसे विज्ञान और प्रोद्योगिकी योजना स्कीम के तहत लाया गया है। स्कीम में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लाभ के लिए परीक्षण सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की संकल्पना की गई है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला की गतिविधियों की भारत सरकार द्वारा निधियन के प्रावधान के रूप में सहायता की जा रही है।

बजटीय आवंटन

8.39 बजटीय आवंटन के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए नेशनल टेस्ट हाउस के लिए बीई, आरई और एई क्रमशः 23.50 करोड़ रु., 13.50 करोड़ रु, 9.39 करोड़ रुपये हैं और वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान रु. 14.75 करोड़ रुपये है।

8.40 विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों में 3% की संभावित वृद्धि के साथ 1 नए प्रयोगशाला भवन के निर्माण, 3 सुविधाओं के नवीनीकरण और 27,000 परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

गत वर्षो मे की गई –मशीनरी की खरीद

8. 41 विभाग ने समिति को सूचित किया कि 2019-20 के दौरान विभिन्न मशीनरी की खरीद के लिए बजट अनुमान (3.190 करोड़ रुपये) के 37.7% (1.204 करोड़ रुपये) का उपयोग किया गया था। वर्ष 2020-21 के आंकड़े रु. 3.340 करोड़ रूपए वास्तविक अर्थात् रुपये के 3.696 करोड़ रूपए के बीई का 90% है। वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 1.962 करोड़, अर्थात् 3.550 करोड़ रुपये के बीई का 55% उपयोग किया गया था।

8.42 पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मशीनरी की खरीद के लिए निर्धारित निधियों और वास्तविक व्यय का एनटीएच का क्षेत्रीयवार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	प्रमुख उपकरणों का विवरण
2019-20	• एनटीएच)डब्ल्यूआर(, मुंबई के लिए क्यूयूवी एक्सीलेरेटेड वेदरिंग टेस्टर • एनटीएच)एनआर(, गाजियाबाद के लिए इंपल्स वोल्टेज जेनरेटर के लिए सहायक पुर्जे
2020-21	• एनटीएच)एनआर(, गाजियाबाद ,एनटीएच)एसआर(, चेन्नई और एनटीएच)एनडब्ल्यूआर(, जयपुर के लिए आयन क्रोमैटोग्राफ • एनटीएच)एसआर(, चेन्नई के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री)जीसी-एमएस(
2021-22	• एनटीएच)डब्ल्यूआर(, मुंबई और एनटीएच)एनडब्ल्यूआर(, जयपुर के लिए एटॉमिक अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी)एएएस(• यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन)यूटीएम(, एनटीएच)डब्ल्यूआर(, मुंबई के लिए क्षमता-100केएन • यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन)यूटीएम(, एनटीएच)एसआर(, चेन्नई और एनटीएच)एनईआर(, गुवाहाटी के लिए क्षमता -10केएन • एनटीएच)एसआर(, चेन्नई के लिए इंपल्स वोल्टेज जेनरेटर -फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया • यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन)यूटीएम(, एनटीएच)ईआर(, कोलकाता के लिए क्षमता-2000केएन - फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया • एनटीएच)ईआर(, कोलकाता के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री)जीसी-एमएस - (फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया • एनटीएच)ईआर(, कोलकाता के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर -फर्म को आपूर्ति आदेश दिया गया

कम आवंटन और संभावित परिणाम

8.43 यह पूछे जाने पर कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग को 25.40 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में 14.75 करोड़ रूपए ही आवंटित हुए हैं और कम आवंटन के परिणामस्वरूप

योजनाओं/प्रस्तावों पर क्या संभावित प्रभाव होंगे, विभाग ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

" खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण सुविधा (एसईएम और एक्सआरडी), शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा आदि जैसी कुल 10 परियोजनाओं/उपकरणों को एसएफसी द्वारा भारत में प्रयोगशालाओं के तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ इन्हें अत्याधुनिक बनाने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, उपकरण जिनके लिए आपूर्ति आदेश वित्त वर्ष 2021-22 में फर्मों को दिया गया है, जिसके लिए भुगतान केवल सफल संस्थापना और उपकरणों के कमीशन के बाद ही जारी किया जाएगा, निधि की उपलब्धता के अधीन भी देरी हो सकती है। इन परियोजनाओं को आवंटित निधि में कटौती के रूप में नुकसान होने की संभावना है।"

<u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और आरआरएसएल और आईआईएलएम के कानूनी माप विज्ञान कार्यान्वयन का सुदृढ़ीकरण</u>

8.44 समिति ने नोट किया है कि उपभोक्ता मामले विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) के भार और माप (डब्ल्यू एंड एम) अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है, जो वाणिज्यिक स्तर तक कानूनी माप विज्ञान और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि 2021-22 में 15 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से, योजना के लिए संशाधित अनुमान चरण में 7.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी और वास्तविक व्यय 31.1.2022 को 6.51 करोड़ रुपये का था। समिति ने यह पाया कि अभी भी लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। समिति सर्वोच्च महत्व की इस योजना के निष्पादन के लिए व्यय की इस गति से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अपने वित्त में अनुशासन लाए और विवेकपूर्ण ढंग से योजनाएं तैयार करे तथा निधियों का आबंटन विवेकपूर्ण ढंग से करे ताकि इस संबंध में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।

8.45 समिति नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल), कार्य मानक प्रयोगशाला, नियंत्रक कार्यालय आदि को देखते हुए प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किया था और मिजोरम, मध्य प्रदेश और केरल से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, इनमें से किसी भी राज्य ने आगे की सहायता जारी करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र और संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

इसके परिणाम स्वरूप, बाद के सहायता अनुदान को जारी नहीं किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक उपस्करों की आपूर्ति के लिए घटक मांग को भी पूरा नहीं किया गया था। समिति विभाग द्वारा इसके लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है कि बजट अनुमान को संशोधित किए जाने के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे। उनका मत है कि केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कोई बात है, जिसके कारण दोनों में उचित समन्वय नहीं है। समय पर निधियां जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोधों/मांगों/उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग करने के संबंध में अत्यधिक तत्परता नहीं दिखाई गई थी। समिति चाहती है कि विभाग इस क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने वाले अपने समन्वयकों को नियुक्त करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र की योजना के निष्पादन के लिए निधियों को जारी करने में किसी भी प्रकार के विलंब से बचने के लिए राज्यों के साथ पूर्ण समन्वय किया जा सके। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभाग ने राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। वे मंत्रालय की इस पहल की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि विभाग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके पेश आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करे।

<u>आरआरएसएल और आईआईएलएम, रांची का सुदृढ़ीकरण</u>

8.46 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने आरआरएसएल और आईआईएलएम, रांची के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए हैं। तथापि, उन्हें पता चला है कि आरआरएसएल, नागपुर की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जिसके कारण भवन के निर्माण में देरी हुई। वे इस बात से निराश है कि भूमि की अदला-बदली की गई और उप निदेशक रैंक के एक अधिकारी से निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर, समिति को अवगत कराया गया है कि केंद्र द्वारा पूर्व में जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अगली सहायता जारी नहीं की जाती है। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि राज्य की मांग, बजट में संशोधन किए जाने के बाद प्राप्त हुई थी। समिति का मत है कि विभाग को निधि जारी करने के लिए भवन के प्रस्तावित निर्माण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समिति इसे विभाग की ओर से एक उदासीन दृष्टिकोण मानती है जिसके परिणामस्वरूप, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को ऐसी महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए अनुदान जारी करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय रखना चाहिए। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम

के तहत केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रावधान किए हैं। उन्हें पता चला है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किए जा सके। तथापि, दूसरी ओर, राज्य सरकारों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर नई पहलों पर 24-25 नवंबर, 2021 को एनआईटीएस में एक कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। समिति इसे लापरवाही का कार्य मानती है और विभाग को अपने सभी कार्यक्रमों के आयोजन में एकरूपता रखने की सिफारिश करती है।

<u>समय प्रसार</u>

8.47 समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 2016 में सिफारिश की थी कि विभिन्न प्रणालियों में समय की गैर-एकरूपता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराधों की जांच में समस्याएं पैदा करती है और परिणामस्वरूप, देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटरों का राष्ट्रीय समय के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को लागू किए जाने और इसके प्रसार से, समय के प्रसार में त्रुटि को केवल कुछ मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड तक कम कर दिया जाएगा। सटीक समय प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और साइबर सुरक्षा को बढ़ाएगा। समिति को यह जानकर खुश है कि विभाग ने मार्च, 2023 तक निर्धारित समय-सीमा के साथ समय प्रसार परियोजना शुरू की है। समिति सामाजिक, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर ही नहीं बल्कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रभाव डालने वाली समय प्रसार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित करने में देरी होने के पीछे के तर्क को समझ नहीं पा रही है। इसलिए समिति विभाग से समय प्रसार परियोजना को अंतिम रूप देने पर त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। समिति यह चाहती है कि उसे इस प्रयोजन के लिए की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।

<u>जांच और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता</u>

8.48 समिति नोट करती है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केन्द्रीय सहायता प्रदान करके देश में स्वर्ण जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों (एएचसी) की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है। जबकि हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत ज्वेलर्स को पंजीकरण प्रदान किया जाता है, जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों को शुद्धता आदि की घोषणा के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता की परख करने के लिए मान्यता दी जाती है। समिति ने यह भी नोट किया है कि सोने और कलाकृतियों की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स के लिए

14, 18 और 22 कैरेट के सोने के जैवरों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन, तथापि, समिति को पता चला है कि 85 आवेदनों में से केवल 59 आवेदकों को ही एएचसी स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2022-23 में कमी वाले जिलों में और अधिक एएचसी केन्द्रों की स्थापना में तेजी लाई जाएगी जिसमें बीआईएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में अपेक्षित सहायता दी जाएगी। समिति का विचार है कि अधिक एएचसी की स्थापना से स्वर्ण आभूषणों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बीआईएस के तहत अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए, समिति विभाग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में ए एंड एच केंद्रों की शीघ्र स्थापना के लिए सभी प्रयास करने की सिफारिश करती है।

<u>एएचसी के लिए क्षमता निर्माण</u>

8.49 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 2022-23 के बजट वर्ष के दौरान कारीगरों, जांच और हॉलमार्किंग सेंटरों (एएचसी) के कर्मियों और बीआईएस के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उनकी राय में, यह एक अच्छी सोच है, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान 8 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग का लक्ष्य रखा है। समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में ठोस उपाय करे और विभाग द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए समुचित तैयारी सुनिश्चित करे।

<u>नेशनल टेस्ट हाउस</u>

8.50 समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) ने केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्र के लिए समर्पित सेवा के 109 साल पूरे कर लिए हैं। समिति को यह पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बजट अनुमान चरण में 23.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी, जिसे काफी नीचे की ओर संशोधित किया गया था और संशाधित अनुमान पर 13.50 करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान की तुलना में 57% तक कम रखा गया था। समिति इस बात को नहीं समझ पा रही कि बजट अनुमान में इतनी अधिक कटौती के बाद भी विभाग पूरी निधि खर्च करने में सक्षम नहीं था, जो 9.39 करोड़ रुपये रहा।

इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय योजनाएं तैयार करने में यथार्थवादी हो और निर्धारित निधि को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे।

अध्याय – नौ
उपभोक्ता कल्याण निधि

केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि

विभाग ने अपने लिखित उत्तर मे समिति को बताया कि निर्माताओं आदि को जो धनराशि वापस करनी होती, वह नहीं की जाती, वह उपभोक्ता कल्याण निधि को दी जाती है। उपभोक्ता कल्याण कोष नियम, 1992 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के तहत वर्ष 1991 में इसके संशोधन के तहत तैयार और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का अधिनियमन होने पर, इसकी धारा 57 के तहत उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई है। सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 97 उपभोक्ता कल्याण कोष से संबंधित है।

9.2 आगे यह भी बताया गया कि स्थायी समिति के निर्णयों के आधार पर, सीडब्ल्यूएफ से वित्तीय सहायता डीओसीए के विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता/प्रचार कार्यक्रमों, विश्वविद्यालयों/निगमों/शैक्षिक संस्थानों आदि जैसे स्वायत्त संस्थानों, केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों/ संगठनों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, सरकारी निकायों और राज्य को दी जाती है ताकि देश में उपभोक्ता जागरूकता / संरक्षण उपभोक्ता अभियान को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता / संरक्षण गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ता के हितों का संरक्षण कर उसे बढ़ावा दिया जा सके।

9.3 वित्तीय आवंटन के बारे में समिति के एक प्रश्न पर, विभाग ने उत्तर प्रस्तुत है कि वर्ष 2021-22 के लिए बीई, आरई और एई क्रमशः 263.50 करोड़ रु., 263.50 करोड़ रु, और 34.35 करोड़ रु. तथा 2022-23 के लिए बजट अनुमान 37.50 करोड़ रु. है।

9.4 समिति को निम्नानुसार भी सूचित किया गया है:

"गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) के प्रस्तावों की जांच के बाद वित्तीय सहायता के रूप में दी गई निधि की राशि वर्ष 2019-20 में 1,26,94,634/- रुपये थी और वर्ष 2020-21 में 21,42,168 करोड़ रुपये थी। साथ ही, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधि से वित्तपोषित परियोजनाएं क्रमशः 4,80,94,193/- रुपये; 1,34,87,881/- रुपये और 226,00,00,000/- रुपये थीं।"

9.5 विभाग ने विस्तार से आगे बताया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आरई में 263.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से सीबीआईसी से संबंधित रु. 226, वित्त मंत्रालय (सीबीआईसी) को स्थानांतरित कर दिया गया है। 34.35 रुपये की राशि का व्यय किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण(कार्पस) कोष

9.6 उपभोक्ता कल्याण(कार्पस) कोष के सम्बन्ध में विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

"सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण कोष को और मजबूत करने के लिए ,वर्ष 2010में यह निर्णय लिया गया कि जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 10. 00करोड़ रुपये की कार्पस निधि स्थापित करने के इच्छुक हैं उन्हें केंद्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में उस राशि का 75% योगदान करके केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को अपना हिस्सा एक गैर-योजना, गैर व्यपगत सार्वजनिक खाते में जमा करना चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस निधि के प्रशासन के लिए अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार कर सकती है ,जो केंद्रीय दिशानिर्देशों के असंगत नहीं होना चाहिए।"

9.7 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ता कल्याण कोष के सुदृढ़ीकरण के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने उत्तर में निम्नानुसार सूचित किया है:

"20 करोड़ रुपये (वर्ष 2019 में 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) के उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस कोष) की स्थापना के लिए राज्यों को अनुदान सहायता, अनुपात 75:25 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र: राज्य, 90:10)

अब तक 17 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस कोष) की स्थापना की है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	**स्थापित कॉर्पस की राशि करोड़ में**
आंध्र प्रदेश	10.00
बिहार	10.00
गुजरात	20.00
हरियाणा	10.00
झारखंड	10.00

कर्नाटक	10.00
केरल	10.00
मध्य प्रदेश	20.00
नागालैंड	10.00
उड़ीसा	20.00
राजस्थान	20.00
तमिलनाडु	20.00
तेलंगाना	10.00
पश्चिम बंगाल	20.00
सिक्किम	5.00
मिजोरम	2.00
त्रिपुरा	20.00

9.8 समिति को आगे सूचित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉर्पस कोष के सृजन के लिए 25.10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यदि अधिक राज्य निधि के लिए अनुरोध करते हैं ,तो संशोधित अनुमान चरण में अधिक धनराशि के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसमें आगे बताया गया है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार विभिन्न स्तरों पर पत्रों के माध्यम से और वीसी के माध्यम से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष सृजित करने और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए इसका उपयोग करने की सलाह दी गई है। ऐसा अंतिम पत्र)संयुक्त सचिव के स्तर से (फरवरी ,2022 के पहले सप्ताह में जारी किया गया था।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता कल्याण (कोष) निधि

9.9 समिति नोट करती है कि विभाग ने निर्णय लिया था कि राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि बनाने के लिए 20.00 करोड़ रुपये की कायिक निधि (Corpus Fund) स्थापित करने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से के रूप में कुल राशि का 75% योगदान देकर सहायता प्रदान की जाएगी। इस पात्रता के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-योजनागत, अव्यपगत सार्वजनिक खाते में अपना हिस्सा जमा करना होगा। तथापि, पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस निधि के प्रबंधन के लिए केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समिति ने यह पाया कि अभी तक केवल 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस निधि की स्थापना की है। उनकी राय में, यह संख्या संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को और सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बढ़ी हुई प्रौद्योगिकी और नवाचारों के परिदृश्य में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह समिति चाहती है कि विभाग शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को जोर-शोर से आगे बढ़ाए ताकि इस निधि को जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

सुदीप बंदोपाध्याय
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट -I

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 24 फरवरी, 2022 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1330 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय – सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
5. श्रीमती कविता सिंह
6. श्री जी. सेल्वम
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री राजमोहन उन्नीथन

<u>राज्य सभा</u>

9. श्रीमती रूपा गांगुली
10. श्री रामजी
11. श्री जी.के. वसन

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री शिव कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	-	अपर सचिव
4.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुदान मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधि

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1.	श्री रोहित कुमार सिंह	सचिव
2.	श्री जी .श्रीनिवास	एएस और एफए
3.	सुश्री निधि खरे	अपर सचिव
4.	श्री प्रमोद कुमार तिवारी	डीजी)बीआईएस /एनटीएच(
5.	श्री विनीत माथुर	संयुक्त सचिव
6.	श्री अनुपमा मिश्रा	संयुक्त सचिव
7.	डॉ .कामखेंथांगी गुइते	आर्थिक सलाहकार

(तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया)

3. तत्पश्चात्, उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों को अनुदान मांगों 2022-23 की जांच के संबंध में समिति के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था। तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष ने उपभोक्ता मामले विभाग के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाहियों के संबंध में गोपनीयता बरतने हेतु लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 55 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकर्षित किया।

4. उपभोक्ता मामलों विभाग के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष की अनुमति से विभाग के प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और गतिविधियों, उपभोक्ता संरक्षण, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नेश्नल टेस्ट हाउस, उपभोक्ता हेल्पलाइन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, मूल्य स्थिरीकरण निधि, कन्फोनेट, उपभोक्ता जागरूकता (प्रचार), मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ), समय प्रसार (टीडी) परियोजना, बजट आबंटन और व्यय आदि के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालते हुए एक पावरपॉइंट प्रस्तुति दी।

5. सचिव ने समिति को विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) के विभिन्न पहलुओं पर भी संक्षिप्त जानकारी दी और उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता हेल्पलाइन, फर्जी विज्ञापन पर जुर्माना, ई-कोर्ट सिस्टम, बीआईएस, ई-कॉमर्स, ई-दखिल आदि मामलों पर भी चर्चा की गई।

6. इसके बाद, समिति ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, विज्ञापन, उपभोक्ता आयोग, सोने की हॉलमार्किंग, दालों, चावल आदि के बफर स्टॉक के बारे में उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा।

7. उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति महोदय ने सचिव और विभाग के अन्य अधिकारियों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही, विभाग को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया, जिनके संबंध में जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

8. साक्ष्य समाप्त हुआ।

9. समिति की कार्यवाहियों का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समितित की बैठक स्थगित हुई।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 16 मार्च, 2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2022 को 1030 बजे से 1100 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्रीमती देबाश्री चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री खगेन मुर्मु
6. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
7. श्रीमती हिमाद्री सिंह
8. श्री जी. सेल्वम
9. श्री राजमोहन उन्नीथन
10. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

11. श्रीमती रूपा गांगुली
12. श्री के.जी. केन्ये
13. डॉ. फौजिया खान
14. श्री जी.के. वसन

सचिवालय

1.	श्री शिव कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्री राम लाल यादव	-	अपर सचिव
4.	डॉ. मोहित राजन	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति महोदय ने अनुदान मांगों (2022-23) से संबंधित (एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और (दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग के प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए लियाः-

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुदानों की मांगें (2022-23)

(दो) उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदानों की मांगें (2022-23)

4. समिति ने कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् बिना कोई संशोधनों/परिवर्तनों के दोनों प्रारूप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया।

5. तत्पश्चात्, माननीय सभापति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया और संसद के वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों के नाम मनोनीत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

6. समिति ने मई, 2022 में तत्स्थानिक दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

परिशिष्ट - III

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां

क्रम सं.	पैरा सं.	सिफारिशें/टिप्पणियां
1.	2.	3.
1.	1.10	समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान ब.अ.,संशोधित अनुमान सं.अ. और वास्तविक व्यय क्रमशः 2974.1 करोड़ रुपये, 2453.64 करोड़ रुपये और 2175.69 करोड़ रुपए रखा गया था। समिति ने आगे नोट करती है कि 2021-22 के दौरान बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण पर 17.5% कम करके और 2453.64 करोड़ रुपये रखा गया था। यहाँ तक कि इस कम किए हुए वास्तविक व्यय को भी विभाग द्वारा उपयोग वास्तविक स्तर पर नहीं किया गया और इसमें 11.3% की कमी रहीं। समिति इसे चिंता के साथ नोट करती है कि 2022-23 के बजट अनुमान में, 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 70.2% की कमी की गई है और इसे 1724.88 करोड़ रुपए तक कम रखा गया है। यदि पीएसएफ के लिए आवंटन अर्थात 2022-23 तक इसके लिए 1500 करोड़ रुपए को, 1724.88 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की कुल राशि में से कम कर दिया जाए तो यह आवंटन केवल 224.88 करोड़ रुपये होगा जोकि 2021-22 के बजट अनुमान से भी 18% कम है जिसे 274.10 करोड़ रुपये रखा गया था। इस कटौती के लिए एमओएफ द्वारा लगाई गई अधिकतम सीमा और मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए आवंटन में कमी जैसे कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति इस बात से आशंकित थी कि 2022-23 के लिए आवंटन में इस भारी कटौती से उपभोक्ता मामले विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगा, जो देश के आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए, समिति मंत्रालय को सक्रिय रूप से कार्य करने और वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की सिफारिश करती है ताकि उन्हें देश में विशेष रूप से उपभोक्ताओं को समर्पित अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए निधि बढ़ाने के लिए लगाई गई सीमा को हटाने के

		लिए राजी किया जा सके। साथ ही, समिति, विभाग को इन प्रमुख योजनाओं में से प्रत्येक के संबंध में अनिवार्य मांगों और निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, केंद्रीय योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए कड़े कदम उठाने और व्यय की कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रेरित करेगी।
2.	**3.4**	**समिति नोट करती है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) को 1599.00 करोड़ रुपये आंका गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपनी दो अम्ब्रेला योजनाओं अर्थात् उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। समिति नोट करती है कि इन अंब्रेला योजनाओं के अलावा, विभाग मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और उपभोक्ता जागरूकता (विज्ञापन और प्रचार) कार्यक्रम भी लागू करता है। जबकि उपभोक्ता संरक्षण की अम्ब्रेला योजना में उपभोक्ता आयोग को मजबूत करने की योजनाएं, देश में उपभोक्ता आयोग का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट), एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) शामिल है, विधिक माप विज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन की योजना में विधिक माप विज्ञान को सुदृढ़ करना, नेशनल टेस्ट हाउस और गोल्ड हॉलमार्किंग, मानक संबंधित क्षमता निर्माण और अनुसंधान और विकास कार्य शामिल है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार द्वारा उपभोक्ता मामलों के विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनमें देश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए व्यापक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हालांकि, समिति नोट करती है कि 2022 23 में रखे गए 1599 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2021 22 की इसी अवधि के संशोधित अनुमान से कम रखा गया है, अर्थात 2453.64 करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय 2175.69 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय जो आवंटन से कम था, फिर भी समिति इस बात पर ज़ोर देती है कि विभाग को इस निधि का उपयोग करने में हर संभव प्रयास करने चाहिए**

		और उचित योजना के साथ विवेकपूर्ण तरीके से अपनी यू योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि कोई राशि सरकारी खजाने में वापस ना जाए और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।
3.	**4.34**	**समिति पाती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है, जो 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ था। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपये रखे गए थे, जिसे संशोधित स्तर पर संशोधित कर 42 करोड़ रुपये कर दिया गया था। समिति को यह जानकर निराशा हुई, कि यह राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं की गई थी और 11.2.2022 को लक्ष्य के लगभग 20.2% से कम थी। समिति यह समझती है कि इस शीर्ष के तहत, उपभोक्ता मंचों को मजबूत करने, उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग (कॉनफोनेट) और एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को वित्तपोषित और कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए, समिति का यह मत है कि जब तक आवंटित राशि का उपयोग आवंटन के अनुसार नहीं किया जाता है, तब तक देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन योजनाओं के लक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती हैं कि वे वित्त की कड़ी निगरानी के साथ-साथ उनके पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें।**
4.	**4.35**	**समिति नोट करती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के वेतन और किराया खर्च के लिए 10 लाख रुपये और 65 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और शिकायतों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि सीसीपीए एक किराए की साइट से क्रियाशील है जिसके लिए 1.01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या और उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते**

		हुए, समिति का सुविचारित मत है कि किराये के परिसर के बजाय, जहाँ जगह की कमी है, सीसीपीए का अपना परिचय होना चाहिए जिसमें उसे अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्थान हो। समिति यह नोट करती है कि टेलीविजन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन उनकी वास्तविकता का पता लगाएं बिना प्रसारित किए जा रहे हैं जो देश के उपभोक्ताओं को काफी हद तक गुमराह करते हैं। समिति का मानना है कि अधिकांश उपभोक्ता साक्षर नहीं है और यह पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, ऐसे विज्ञापनों से गुमराह हो जाते हैं और आसानी से फंस जाते और इस तरह उत्पाद के फायदे और नुकसान को सोचे समझे बिना विज्ञापित वस्तुओं को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं और बाद में उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। समिति से देश के निर्दोष उपभोक्ताओं के साथ छल-कपट का कार्य मानती है। इसलिए समिति विभाग को इस व्यापक समस्या को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए फर्जी विज्ञापनों पर एक सख्त निगरानी तंत्र की स्थापना की सिफारिश करती है। इस संदर्भ में समिति यह भी चाहती है कि जिसे एजेंसी/कंपनी के विज्ञापन फर्जी पाए जाते हैं, उन पर भविष्य में भारी जुर्माना या सजा के साथ विज्ञापन की सूची से हटा दिया जाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इत्यादि में प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों पर रोक लग सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके। समिति विभाग को इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो, संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने की भी सिफारिश करती है।
5.	**4.36**	समिति नोट करती है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुरूप अर्ध-न्यायिक उपभोक्ता आयोग चलाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग को उनके प्रभावी कामकाज के लिए

		न्यूनतम स्तर की आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा सके। हलांकि, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि 2019-20 में बजट अनुमान के चरण में 600 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया था जिसे संशोधित कर 494 लाख रुपये कर दिया गया जबकि वास्तविक व्यय केवल 353.62 लाख रुपए हुआ। दोबारा 2020-21 में वास्तविक व्यय पूरा नहीं किया जा सका। समिति इससे बेहद निराश है कि विभाग द्वारा वास्तविक स्तर पर बार-बार कम किए गए आवंटन को भी व्यय किया जा रहा है। समिति इस प्रवृत्ति के कारणों को नहीं समझ पा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में समिति का मानना है कि क्या 2022 देश के बजट अनुमान में प्रस्तावित 600 लाख रुपये की राशि शायद ही पूरी तरह से खर्च हो पाएं और हो सकता है निधि को सरकारी खजाने में वापस कर दिया जाएगा। समिति को आशा है कि विभाग विवेकपूर्ण ढंग से योजना तैयार करने के लिए कड़े कदम उठाएगा और विभाग को 2022-23 में आवंटित निधि को पूर्ण खर्च करेगा।
6.	**4.37**	**समिति यह नोट करती है कि 2021-22 में, जिला उपभोक्ता आयोग भवन और गैर-भवन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को कुल 279. 40 लाख रुपए का आवंटन जारी किया गया था । समिति इस पहल की सराहना करती है और चाहती है कि उसे इससे संबंधित स्थिति से अवगत कराया जाए। समिति ने यह भी नोट किया कि विभाग को झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, नागालैंड और मध्य प्रदेश राज्यों से इस योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग ने बताया है कि इन अनुरोधों की संवीक्षा की जा रही है। अतः समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह राज्यों के अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अंतिम रूप दे और इस संबंध में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए तुरंत निधियाँ जारी करे।**
7.	**4.39**	**समिति नोट करती है कि देश में उपभोक्ता मंचों का कंप्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्किंग योजना (कन्फोनेट) के अंतर्गत देश भर में सभी तीन स्तरों पर उपभोक्ता आयोगों को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जाना है ताकि सूचना तक पहुंच आसान बनाई जा सके और मामलों का शीघ्र**

		निपटान किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि 31 राज्य आयोगों, 6 सर्किट पीठों (सीबी) और 378 जिला आयोगों में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है और इसके अलावा, 200 और स्थानों के लिए हार्डवेयर के नए सेट की खरीद/आपूर्ति की जा रही है जिसमें 3 राज्य आयोग, 1 सर्किट बेंच और 196 जिला आयोग शामिल हैं। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि अरुणाचल प्रदेश के 4 स्थानों, छत्तीसगढ़, दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली में से प्रत्येक के 2-2 स्थानों, जम्मू-कश्मीर में 1, नागालैंड में 3 और लद्दाख में 1 स्थान को तैयार नहीं किए जाने के कारण वहां कन्फोनेट योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है। समिति मानती है कि विभाग ने इस संबंध में, उदासीन रवैया अपनाया है और यह पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग कार्यों को आदेशानुसार पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे ताकि इस मामले में उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो। समिति नोट करती है कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान, 13 उपभोक्ता आयोगों के कंप्यूटरीकरण और कन्फोनेट प्रणाली का प्रयोग करने के लिए 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 6 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए 2022-23 के बजट में 27.0 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया है। समिति इस पहल की सराहना करती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग 'डिजिटल इंडिया' पहल के अनुरूप उपभोक्ता आयोगों में उपकरणों/हार्डवेयर की स्थापना के लिए आवश्यक रूपरेखा/स्थल तैयार करने आदि कार्यों में तेजी लाए।
8.	**4.40**	**समिति यह नोट करती है कि एनसीडीआरसी और 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक ई-दाखिल पोर्टल डिजाइन/विकसित और कार्यान्वित किया गया है जो उपभोक्ताओं को 624 उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। समिति यह भी नोट करती है कि यह केवल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है जबकि अनेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस सुविधा को शीघ्रातिशीघ्र सभी उपभोक्ता आयोगों तक पहुंचाया जाए । समिति चाहती है कि उसे इस**

		मामले के संबंध में प्राप्त होने वाली नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाए।
9.	5.9	समिति नोट करती है कि बजट अनुमान चरण में 2.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी जिसे कम करके 1.50 करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने इस आवंटन में से 11.2.2022 तक 1.38 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 को समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है अतः समिति को लगता है कि शेष धनराशि खर्च नहीं हो पाएगी जिसके परिणामस्वरुप शेष धनराशि को सरकारी राजकोष में जमा करना होगा। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग अपनी योजना विवेकपूर्ण ढंग से तैयार करे ताकि निर्धारित निधि को समय पर खर्च किया जा सके और उपभोक्ताओं को इस संबंध में, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग मूल्य संबंधी अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र व्यवसायिक संगठन की सेवाएं लेने की योजना बना रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि दिनांक 30.11.1974 और 9.6.1978 के आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिकांश शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। तथापि, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संगत अधिनियमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने और छापों के माध्यम से इन अधिनियमों का प्रवर्तन करने की नियमित रूप से सलाह देती रहती है। समिति ने यह पाया है कि इतनी अधिक संख्या में छापों/अभियोजन/दोषसिद्धि/निरूद्ध के मामलों के बावजूद केवल 10005 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2020 में इनमें से केवल 712 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया । इसी प्रकार से 2021 में गिरफ्तार किए गए 15450 व्यक्तियों में से केवल 1034 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। समिति छापों की तुलना में इतनी कम संख्या में अभियोजन के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। समिति मानती है कि चूककर्ता अधिनियमों में निहित प्रावधानों की खामियों का लाभ उठा रहे होंगे अथवा अभियोजन से बचने के लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ

		सांठगांठ कर ली होगी और अभियोजन से बचने के बाद वे पुनः भ्रष्टाचार करने लगेंगे । अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को दोषी न ठहराए जाने और उन पर मुकदमा न चलाए जाने के कारणों का पता लगाए तथा उन्हें भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए तुरंत कारवाई करे और यदि आवश्यक हो तो संगत अधिनियमों में संशोधन करे।
10.	**6.11**	**समिति नोट करती है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दालों जैसी कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई थी। समिति यह भी नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति (सीपीएसएफएमसी) द्वारा केंद्र में मूल्य स्थिरीकरण प्रचलनों का निर्धारण किया जाता है जिसके पुनर्गठन के बाद से 53 बैठकें हो चुकी हैं। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने वर्ष 2019-20 2020-21 और 2021-22 में पीएसएफ के अंतर्गत आवंटित निधियों में से क्रमश: 93.60%, 94.36% और 89.6,% व्यय कर दिया है। तथापि समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान खराब होने के कारण 51582.74 मीट्रिक टन प्याज बर्बाद हो गया था। समिति ने पाया कि हाल के महीनों में प्याज की कीमत बहुत बढ़ गई है और इतनी अधिक मात्रा में प्याज की बर्बादी होना विभाग के खराब प्रबंधन को दर्शाता है, जिसने आगामी बजट वर्ष 2022-23 में अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा 4 एलएमटी प्याज खरीदने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्याज की भारी मात्रा में खरीद और इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग प्याज के उचित भंडारण की व्यवस्था करे ताकि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज के मूल्यों में आए दिन होने वाले उतार-चढ़ाव को रोका जा सके तथा कालाबाजारी को रोका जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग यथापरिश्रम और अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ बाजार मध्यस्थता का संचालन करे और**

		विशेषकर बाजार अस्थिरता संभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उचित निगरानी करे।
11.	**6.12**	**समिति नोट करती है कि राज्य स्तरीय कोष निधियां केंद्र-राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के आधार पर हिस्सेदारी के आधार पर सृजित की जाती हैं। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच आंध्र प्रदेश; तेलंगाना;पश्चिम बंगाल; ओडिशा; तमिलनाडु और असम में केंद्र की 50.00 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी से राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित करने के लिए केंद्र की ओर से कुल 164.15 करोड रुपए जारी किए गए थे। हालांकि मंत्रालय बैठकें बुलाकर/ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और समय-समय पर संबंधित राज्यों से राज्य उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा विवरण मंगवाकर निधियों के उपयोग की निगरानी करता रहता है परंतु फिर भी समिति ने पाया है कि या तो अधिकांश राज्य उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा इसे प्रस्तुत करने में विलंब करते हैं। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग राज्यों की ओर से निधियों के व्यय को सुनिश्चित करने के लिए उनके लेखा विवरणों की कड़ी निगरानी करने तथा उनसे अनिवार्य रूप से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।**
12.	**7.5**	**समिति यह नोट करती है कि उपभोक्ता जागरुकता योजना के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2021-22 के लिए 44.50 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया था और इस प्रस्ताव में से संशोधित अनुमान चरण में केवल 51% अर्थात 23 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। समिति यह देख कर अत्यंत निराश है कि इस राशि में से विभाग ने 11 फरवरी 2022 तक 21.9 करोड रुपए अर्थात 95.61 प्रतिशत का ही उपयोग किया है। 2022-23 के बजट में 25.00 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। समिति यह नहीं समझ पाई है कि विभाग बजट अनुमान स्तर पर भारी राशि का प्रस्ताव करता है जिसे संशोधित करके काफी हद तक कम कर दिया जाता है परंतु फिर भी संशोधित निधियों**

		का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है या उन्हें खर्च ही नहीं किया जाता है तथा उन्हें सरकारी राजकोष में वापस जमा कर दिया जाता है । अतः समिति का यह दृढ़ मत है कि यदि वास्तविक व्यय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो इससे योजना का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो जाता है और योजना बनाने की पूरी कवायद बेकार होती है जिसके परिणामस्वरूप धन को वापस सरकारी राजकोष में जमा करना पड़ता है। अतः समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय अपनी योजनाएं वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार करे ताकि इतनी महत्वपूर्ण प्रकृति की योजना बाधित न हो और इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से शून्य प्रसार लागत पर जागरुकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है। समिति विभाग की इस पहल की सराहना करती है और यह राय देती है कि यदि इसे राजकोष पर लागत का बिना कोई भार डाले अक्षरशः कार्यान्वित किया जाता है तो इससे काफी लाभ होगा। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।
13.	**8.44**	**समिति ने नोट किया है कि उपभोक्ता मामले विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) के भार और माप (डब्ल्यू एंड एम) अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है, जो वाणिज्यिक स्तर तक कानूनी माप विज्ञान और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान (आईआईएलएम), रांची के राष्ट्रीय मानकों के मूल्यों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि 2021-22 में 15 करोड़ रुपये के बजट अनुमान में से, योजना के लिए संशाधित अनुमान चरण में 7.48 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी और वास्तविक व्यय 31.1.2022 को 6.51 करोड़ रुपये का था। समिति ने यह पाया कि अभी भी लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। समिति सर्वोच्च महत्व की इस योजना के निष्पादन के लिए व्यय की इस गति से संतुष्ट नहीं है। इसलिए, समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अपने वित्त में अनुशासन लाए और**

		विवेकपूर्ण ढंग से योजनाएं तैयार करे तथा निधियों का आबंटन विवेकपूर्ण ढंग से करे ताकि इस संबंध में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े।
14.	**8.45**	**समिति नोट करती है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (एसएसएल), कार्य मानक प्रयोगशाला, नियंत्रक कार्यालय आदि को देखते हुए प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किया था और मिजोरम, मध्य प्रदेश और केरल से अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, इनमें से किसी भी राज्य ने आगे की सहायता जारी करने के लिए उपयोग प्रमाण पत्र और संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप, बाद के सहायता अनुदान को जारी नहीं किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानक उपस्करों की आपूर्ति के लिए घटक मांग को भी पूरा नहीं किया गया था। समिति विभाग द्वारा इसके लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं है कि बजट अनुमान को संशोधित किए जाने के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे। उनका मत है कि केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कोई बात है, जिसके कारण दोनों में उचित समन्वय नहीं है। समय पर निधियां जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोधों/मांगों/उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग करने के संबंध में अत्यधिक तत्परता नहीं दिखाई गई थी। समिति चाहती है कि विभाग इस क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखने वाले अपने समन्वयकों को नियुक्त करे ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र की योजना के निष्पादन के लिए निधियों को जारी करने में किसी भी प्रकार के विलंब से बचने के लिए राज्यों के साथ पूर्ण समन्वय किया जा सके। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभाग ने राज्य सरकारों के विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। वे मंत्रालय की इस पहल की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि विभाग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके पेश आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तैयार करे।**
15.	**8.46**	**समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने आरआरएसएल और आईआईएलएम, रांची के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए हैं। तथापि,**

		उन्हें पता चला है कि आरआरएसएल, नागपुर की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी जिसके कारण भवन के निर्माण में देरी हुई। वे इस बात से निराश है कि भूमि की अदला-बदली की गई और उप निदेशक रैंक के एक अधिकारी से निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर, समिति को अवगत कराया गया है कि केंद्र द्वारा पूर्व में जारी सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अगली सहायता जारी नहीं की जाती है। विभाग ने यह भी सूचित किया है कि राज्य की मांग, बजट में संशोधन किए जाने के बाद प्राप्त हुई थी। समिति का मत है कि विभाग को निधि जारी करने के लिए भवन के प्रस्तावित निर्माण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समिति इसे विभाग की ओर से एक उदासीन दृष्टिकोण मानती है जिसके परिणामस्वरूप, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग को ऐसी महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए अनुदान जारी करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय रखना चाहिए। समिति यह नोट करती है कि विभाग ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रावधान किए हैं। उन्हें पता चला है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किए जा सके। तथापि, दूसरी ओर, राज्य सरकारों के लिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 पर नई पहलों पर 24-25 नवंबर, 2021 को एनआईटीएस में एक कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। समिति इसे लापरवाही का कार्य मानती है और विभाग को अपने सभी कार्यक्रमों के आयोजन में एकरूपता रखने की सिफारिश करती है।
16.	**8.47**	**समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 2016 में सिफारिश की थी कि विभिन्न प्रणालियों में समय की गैर-एकरूपता, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराधों की जांच में समस्याएं पैदा करती है और परिणामस्वरूप, देश के भीतर सभी नेटवर्क और कंप्यूटरों का राष्ट्रीय समय के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय मानक समय (आईएसटी) को लागू किए**

		जाने और इसके प्रसार से, समय के प्रसार में त्रुटि को केवल कुछ मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड तक कम कर दिया जाएगा। सटीक समय प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और साइबर सुरक्षा को बढ़ाएगा। समिति को यह जानकर खुश है कि विभाग ने मार्च, 2023 तक निर्धारित समय-सीमा के साथ समय प्रसार परियोजना शुरू की है। समिति सामाजिक, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर ही नहीं बल्कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रभाव डालने वाली समय प्रसार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित करने में देरी होने के पीछे के तर्क को समझ नहीं पा रही है। इसलिए समिति विभाग से समय प्रसार परियोजना को अंतिम रूप देने पर त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश करती है। समिति यह चाहती है कि उसे इस प्रयोजन के लिए की गई कार्रवाई से जल्द से जल्द अवगत कराया जाए।
17.	**8.48**	**समिति नोट करती है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केन्द्रीय सहायता प्रदान करके देश में स्वर्ण जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों (एएचसी) की स्थापना के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है। जबकि हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत ज्वेलर्स को पंजीकरण प्रदान किया जाता है, जांच और हॉलमार्किंग केन्द्रों को शुद्धता आदि की घोषणा के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता की परख करने के लिए मान्यता दी जाती है। समिति ने यह भी नोट किया है कि सोने और कलाकृतियों की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स के लिए 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के जैवरों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन, तथापि, समिति को पता चला है कि 85 आवेदनों में से केवल 59 आवेदकों को ही एएचसी स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विभाग ने समिति को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2022-23 में कमी वाले जिलों में और अधिक एएचसी केन्द्रों की स्थापना में तेजी लाई जाएगी जिसमें बीआईएस द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में अपेक्षित सहायता दी जाएगी। समिति का विचार है कि अधिक एएचसी की स्थापना से स्वर्ण आभूषणों के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा**

		करने और बीआईएस के तहत अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। इसलिए, समिति विभाग को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में ए एंड एच केंद्रों की शीघ्र स्थापना के लिए सभी प्रयास करने की सिफारिश करती है।
18.	**8.49**	**समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि विभाग ने अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 2022-23 के बजट वर्ष के दौरान कारीगरों, जांच और हॉलमार्किंग सेंटरों (एएचसी) के कर्मियों और बीआईएस के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उनकी राय में, यह एक अच्छी सोच है, विशेष रूप से इस बात को देखते हुए कि विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान 8 करोड़ आभूषणों की हॉलमार्किंग का लक्ष्य रखा है। समिति चाहती है कि विभाग इस संबंध में ठोस उपाय करे और विभाग द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए समुचित तैयारी सुनिश्चित करे।**
19.	**8.50**	**समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) ने केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्र के लिए समर्पित सेवा के 109 साल पूरे कर लिए हैं। समिति को यह पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बजट अनुमान चरण में 23.50 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी, जिसे काफी नीचे की ओर संशोधित किया गया था और संशाधित अनुमान पर 13.51 करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान की तुलना में 57% तक कम रखा गया था। समिति इस बात को नहीं समझ पा रही कि बजट अनुमान में इतनी अधिक कटौती के बाद भी विभाग पूरी निधि खर्च करने में सक्षम नहीं था, जो 1223 करोड़ रुपये रहा। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय योजनाएं तैयार करने में यथार्थवादी हो और निर्धारित निधि को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करे।**
20.	**9.9**	**समिति नोट करती है कि विभाग ने निर्णय लिया था कि राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि बनाने के लिए 20.00 करोड़ रुपये की कायिक निधि (Corpus Fund) स्थापित करने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से के रूप में कुल राशि का 75% योगदान देकर**

		सहायता प्रदान की जाएगी। इस पात्रता के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गैर-योजनागत, अव्यपगत सार्वजनिक खाते में अपना हिस्सा जमा करना होगा। तथापि, पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस निधि के प्रबंधन के लिए केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने स्वयं के दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समिति ने यह पाया कि अभी तक केवल 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस निधि की स्थापना की है। उनकी राय में, यह संख्या संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ताओं के अधिकारों को और सशक्त बनाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बढ़ी हुई प्रौद्योगिकी और नवाचारों के परिदृश्य में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह समिति चाहती है कि विभाग शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को जोर-शोर से आगे बढ़ाए ताकि इस निधि को जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके।